उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग,
संख्या 176/XXIII-1/2025-04(01)/2025
देहरादून दिनांक 05 मार्च, 2025

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड, संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910(अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002) की धारा–40, सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम–1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या– 1 सन् 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस सम्बन्ध में विद्यमान नियमों/आदेशों को अधिक्रमित करके उत्तराखण्ड राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2025–26, 2026–27 एवं 2027–28 (त्रिवर्षीय) के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली– वर्ष 2025–26, 2026–27, व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति)

1. राजस्व का निर्धारण :–

1.1 देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु जनपदवार राजस्व निम्नवत् प्रस्तावित है:–

क0स0	जनपद का नाम	निर्धारित राजस्व (करोड रू0 में) 2025–26	निर्धारित राजस्व (करोड रू0 में) 2026–27	निर्धारित राजस्व (करोड रू0 में) 2027–28
1	नैनीताल	331	342	354
2	उधमसिंहनगर	254	263	271
3	अल्मोडा	147	152	157
4	बागेश्वर	54	56	58
5	चम्पावत	77	80	82
6	पिथौरागढ	109	113	118
7	हरिद्वार	393	404	416
8	देहरादून	648	667	689
9	टिहरी	130	135	141
10	पौडी	150	157	163
11	उत्तरकाशी	62	65	67
12	रूद्रप्रयाग	69	71	74
13	चमोली	95	99	103
योगः–		**2519**	**2604**	**2693**

उपरोक्त तालिका में वर्णित जनपद के राजस्व के अनुसार जनपद की देशी एवं विदेशी मदिरा की खुदरा दुकानों का राजस्व निर्धारण किया जायेगा।

Bjoshi

Scanned with CamScanner

उपरोक्तानुसार जनपद के लिए मदिरा की दुकानों हेतु निर्धारित राजस्व में ही जनपद में नई दुकानों का सृजन भी किया जा सकेगाः–

(1) वित्तीय वर्ष 2024–25 में जनपद के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए समस्त संचालित मदिरा दुकानों में व्यवथापित राजस्व को वार्षिक आगणन के आधार पर 04 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए विदेशी मदिरा दुकानों तथा 02 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए देशी मदिरा दुकानों का वित्तीय वर्ष 2025–26व 2026–27 के लिये नवीनीकरण किया जायेगा। जिसे वित्तीय वर्ष 2027–28 हेतु शासन द्वारा विस्तारित किया जा सकेगा। प्रत्येक वर्ष हेतु पृथक–पृथक मदिरा दुकानों के राजस्व का निर्धारण नियम 1.1 (1) के तहत किया जाएगा।

(2) नवीनीकरण के पश्चात् अवशेष अव्यवस्थापित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों में पुनर्निधारण करते हुए नीति में दी गई प्रकिया के अनुसार (लाटरी, प्रथम आवक प्रथम पावक एवं अधिकतम ऑफर) मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन राजस्व हित में किया जायेगा।

(3) वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु देशी, विदेशी मदिरा दुकानों का नवीनीकरण एक वर्ष के लिए किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025–26 में देशी, विदेशी मदिरा दुकानों द्वारा सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में मदिरा दुकान के सफल संचालन के साथ इस नियमावली के नियम 2.5 के अंतर्गत नवीनीकरण की पात्रता पूर्ण करने वाले अनुज्ञापियों को वर्ष 2026–27 हेतु मदिरा दुकानों के नवीनीकरण हेतु अर्ह माना जाएगा तथा वर्ष 2026–27 के लिए मदिरा दुकानों के नवीनीकरण हेतु आबकारी आयुक्त उत्तराखंड द्वारा तत्समय सामान्य निर्देश जारी किए जाएंगे व 2027–28 हेतु शासन के निर्देश के क्रम में मदिरा दुकानों के नवीनीकरण हेतु आबकारी आयुक्त उत्तराखंड द्वारा तत्समय पृथक से सामान्य निर्देश जारी किए जाएंगे।

1.2 मदिरा की दुकानों की लाईसेंस फीस का निर्धारणः–

मदिरा की दुकान हेतु–वर्ष 2025–26 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की खुदरा दुकानों की लाईसेंस फीस नियम–1.1 के अनुसार निर्धारित दुकानवार कुल राजस्व के 1%के बराबर निकटतम रूपये 1000/– के पूर्णांक पर निर्धारित की जायेगी।

1.3 मदिरा की दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारणः–

उपरोक्त नियम–1.1 के अर्न्तगत दुकानवार निर्धारित कुल राजस्व में से नियम–1.2 के अर्न्तगत निर्धारित लाईसेंस फीस की धनराशि को घटाकर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी निर्धारित की जायेगी।

1.4 खुदरा दुकानों का राजस्व निर्धारणआबकारी अधिनियम 1910 में उल्लिखित फीस की परिभाषा का तात्पर्य खुदरा मदिरा दुकानों के वार्षिक निर्धारित राजस्व से है जिसमें आबकारी नीति विषयक नियमावली 2025 के नियम 1.2 व 1.3 में उल्लिखित लाइसेंस फीस व न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी सम्मिलित है।

उक्त नियम वर्ष 2026–27व 2027–28के लिए लागू है।

2. देशी/विदेशी मदिरा की खुदरा दुकानों का व्यवस्थापनः–

2.1 वित्तीय 2024–25 मे संचालित मदिरा की दुकानों के अनुज्ञापी यदि वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 एवं 2027–28 हेतु निर्धारित राजस्व पर मदिरा दुकान संचालन/नवीनीकरण के

Bashi

Scanned with CamScanner

लिये इच्छुक है, तो अर्ह आवेदक द्वारानिर्धारित प्रारूप में मय शपथ पत्र आवेदन करने पर जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी की आख्या पर आबकारी आयुक्त द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

2.2 नवीनीकरण की प्रक्रिया के पश्चात अवशेष अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन दो चरण की लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

2.3 उपरोक्त दोनों चरणों के पश्चात अवशेष अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों को पूर्ण राजस्व पर प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक को जिलाधिकारी के समक्ष आवदेन प्रस्तुत करना होगा तथा जिलाधिकारी प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर दुकान का आवंटन करेंगे।

2.4 उपरोक्त समस्त चरणों के पश्चात अवशेष अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ऑफर आमंत्रित कर आबकारी आयुक्त को प्रेषित किया जायेगा, जिस पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

2.5 देशी/विदेशी मदिरा की खुदरा दुकानों के नवीनीकरण हेतु पात्रता :–

देशी/विदेशी मदिरा की खुदरा दुकानों का नवीनीकरण वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए वार्षिक निर्धारित राजस्व एवं अनुज्ञापन की शर्तों के अधीन किया जाएगा। देशी/विदेशी मदिरा की दुकानें जो वित्तीय वर्ष 2024–25 में व्यवस्थापित/पुनर्व्यवस्थापित राजस्व पर संचालित हो रही है, उन खुदरा देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के नवीनीकरण का आवेदन वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए किया जा सकेगा।

इसी प्रकार नियम 2.5 के अनुसार नवीनीकरण हेतु पात्रता वित्तीय वर्ष 2026–27 व 2027–28 हेतु लागू होगी।

दुकानों का वर्ष 2025–26 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया जाएगा–

1. अंतिम व्यपगत मास तक की **समस्त (100%) देयताएँ** बेबाक हों।
2. मदिरा दुकान की वर्ष 2024–25 की देय दोनों (प्रथम एवं द्वितीय) प्रतिभूतियाँ जमा एवं सुरक्षित हों।
3. नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी को रु०100/– के नॉन ज्यूडीशीयल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी निर्धारित प्रारूप पर देना होगा।

तत्पश्चात उपरोक्त मदिरा दुकानों के नवीनीकरण हेतु जिला आबकारी अधिकारी की स्पष्ट संस्तुति के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष2025–26 हेतु निर्धारित राजस्व पर उपरोक्त दुकानों के नवीनीकरण हेतु प्रक्रिया निम्नवत रहेगी:–

a) वित्तीय वर्ष 2024–25के विदेशी/देशी मदिरा दुकानों के खुदरा अनुज्ञापी सर्वप्रथम निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्रमय शपथ पत्र संबंधित कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी में प्रस्तुत करेंगे।

Bakshi

Scanned with CamScanner

b) क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच करते हुए वर्तमान अनुज्ञापियों को वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु विदेशी/देशी मदिरा दुकानों के नवीनीकरण की संस्तुति जिला आबकारी अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।

c) जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षकों की संस्तुति सहित प्राप्त आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु विदेशी/देशी मदिरा दुकानों के नवीनीकरण हेतु पूर्व अनुज्ञापी की उपयुक्तता की जाँच राजस्व हित में करते हुए प्रकरण पर अपनी स्पष्ट आख्या सहित जिलाधिकारी/लाइसेंसिंग प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

d) जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी की आख्या पर वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 व 2027–28 हेतु विदेशी/देशी मदिरा दुकानों के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

नवीनीकरण के संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा राजस्व हित में लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

e) आबकारी आयुक्त से अनुमोदन के उपरांत आवेदक को तत्काल अनुज्ञापन शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा।

f) वर्ष 2025–26के लिए संबंधित मदिरा दुकान के नवीनीकरण हेतु निर्धारित राजस्व का 0.35% की धनराशि या पचास हजार रुपये जो अधिक हो नवीनीकरण शुल्क लिया जाएगा। जिसे बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में देय होगा या ऑनलाइन के माध्यम से राज्य उत्पाद शुल्क के शीर्षक 0039 के उपशीर्षक अन्य प्राप्तियाँ (800) में जमा किया जा सकेगा। नवीनीकरण के अनुमोदन के उपरांत नवीनीकरण शुल्क जमा किया जाएगा।

g) नवीनीकरण के उपरांत गत 02 वर्ष का आई०टी०आर० प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। 15 करोड़ या उससे अधिक राजस्व की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 10 लाख, 10 से 15 करोड़ राजस्व की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 7 लाख तथा 10 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 5 लाख, विगत वर्ष की आई०टी०आर० प्रमाण पत्र के अनुसार होना अनिवार्य है।

h) नियम 3.8 की व्यवस्था नवीनीकृत अनुज्ञापनों पर लागू होगी, उक्त नियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्रएवं शपथ पत्र में सूचनाएं देनी अनिवार्य हैजो कि निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार्य होंगी।

i) वित्तीय वर्ष 2024–25 की देशी मदिरा दुकानें जिनमें एक से अधिक अनुज्ञापी/सह अनुज्ञापी है उन मदिरा दुकानों के समस्त अनुज्ञापी/सह अनुज्ञापी आपसी सहमति के आधार पर यदि मूल अनुज्ञापी अनुज्ञापन से अपना नाम निरस्त करवाता है तथा सह अनुज्ञापी उस अनुज्ञापन नवीनीकरण करवाना चाहता है तो इसके लिए वर्ष 2025–26 हेतु निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क का 25% धनराशि प्रक्रिया शुल्क के रूप में अतिरिक्त देय होगा। उक्त परिवर्तन की दशा में सहअनुज्ञापी ही मूल अनुज्ञापी माना जायेगा एवं राजस्व की समस्त देयतायें, परिवर्तित नवीन अनुज्ञापी (जो पूर्व में सहअनुज्ञापी रहा हो) को ही जमा करानी होगी, दोनो के मध्य सहमति पत्र 100 रूपये के नॉनज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड कराना अनिवार्य होगा, को जिला

Scanned with CamScanner

आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

3. नवीनीकरण के पश्चात अवशेष मदिरा दुकानों/नवसृजित मदिरा दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से कराया जायेगा:–

उक्त नियम 3का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2027–28 तक मदिरा दुकानों के आवंटन के लिए लागू होगा।

3.1 नियम 2 के अनुसार जो मदिरा की दुकाने नवीनीकृत नहीं हो पायेंगी, उन मदिरा दुकानों तथा नवसृजित मदिरा दुकानों का उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2025–26 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार लॉटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

3.2 लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के साथ धरोहर राशि (EMD) के रूप में वर्ष 2025–26 हेतु सम्बन्धित मदिरा दुकान के कुल राजस्व के 2% के बराबर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।

यदि आवेदक तीन से अधिक मदिरा दुकान हेतु आवेदन करना चाहता है तो आवेदक जिले की तीन आवेदित मदिरा दुकानो हेतु निर्धारित धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट जमा कर आवेदित दुकानो से कम राजस्व वाली जिले की किसी भी अन्य दुकान पर आवेदन कर सकता है।

अन्य दुकानों पर ईएमडी के रूप में बैंक ड्राफ्ट की छाया प्रति लगाई जा सकेगी।

3.3 आवेदक को आवेदन पत्र के साथ व्यक्तिगत पहचान हेतु स्थायी आयकर लेखा (PAN) संख्या तथा आधार कार्ड की स्व सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3.4 नवीनीकरण के उपरांत गत 02 वर्ष का आई०टी०आर० प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। 15 करोड़ या उससे अधिक राजस्व की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 10 लाख, 10 से 15 करोड़ राजस्व की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 7 लाख तथा 10 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 5 लाख, विगत वर्ष की आई०टी०आर० प्रमाण पत्र के अनुसार होना अनिवार्य है।

3.5 आवेदक को आवेदन के साथ स्थायी/मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

3.6 आवेदक को मदिरा दुकान के वित्तीय वर्ष 2025–26 के कुल राजस्व के 15% के बराबर धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्रकी सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप जी–39 में अथवा अधिकृत आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत धारित संपत्ति प्रमाण पत्र (मूल रूप में) वांछित होगा। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु जारी हैसियत प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2025 तक वैध हो, की सत्यापित छायाप्रति इस आशय के शपथपत्र के साथ संलग्न की जा सकेगी कि हैसियत प्रमाण पत्र में उल्लिखित संपत्ति खुर्द–बुर्द, बिक्री, हस्तांतरित, दान नहीं की गई है और ना ही अनुज्ञापन की अवधि व आबकारी राजस्व बेबाक होने तक खुर्द–बुर्द, बिक्री, हस्तांतरित, दान नहीं की जाएगी। परंतु प्रतिबंध यह होगा कि इस नीति के नियम 4.2 के अनुसार दुकान आवंटन के पश्चात वर्ष 2025–26 के लिए जारी हैसियत प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा कर आवंटन की औपचारिकता पूर्ण कर कार्यवाही की जाएगी। मदिरा दुकान के

Scanned with CamScanner

नवीनीकरण होने की दशा में या अन्य माध्यम से व्यवस्थापित होने की दशा में संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए जारी हैसियत प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करानी अनिवार्य होगी।

a) हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में इसी मूल्य की ई–एफ०डी०आर०/ एफ०डी०आर० जो कि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत हो, स्वीकार की जा सकेगी।

b) यदि किसी आवेदक के पास अचल सम्पति नहीं है, तो वह अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों की सम्पत्ति को लाईसेंसिंग प्राधिकारी के नाम बन्धक (Mortgage) कर हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।

c) हैसियत प्रमाण पत्रकी राशि में कमी की राशि के एवज में कमी की राशि के बराबर की राशि के एफ0डी0आर0 (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने हो) जो जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होंगे, जमा कराये जा सकेंगे।

3.7. पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रो/अभिलेखो की स्वयं सत्यापित छायाप्रति अनिवार्य रूप से आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी।

3.8 मदिरा दुकान हेतु एकल आवेदक के अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति अधिकतम तीन सह–आवेदक के रूप में आवेदन कर सकेंगे। एक से अधिक आवेदक होने पर सभी आवेदको की हैसियत जोडकर गणना की जायेगी। यदि आवेदक/सह आवेदक किसी फर्म आदि का सदस्य है तो आवेदक को उसका उल्लेख आवेदन पत्र में करना अनिवार्य होगा तथा फर्म आदि के समस्त सदस्य दुकान हेतु आवेदक माने जाएंगे। आबकारी राजस्व हेतु जिम्मेदारी पूर्णरूप से सभी आवेदकों (सह–आवेदकों सहित) की होगी।

3.9 नवीनीकरण के पश्चात लॉटरी पद्धति एवं आगे के सभी चरणों में देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के आवंटन हेतु दुकानों के आवेदन हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ रू० 65000/–का बैंक डिमांड ड्राफ्ट, प्रक्रिया शुल्क के रूप में लिया जायेगा जो कि संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष मे देय होगा, प्रक्रिया शुल्क अप्रतिदेय होगा (Non Refundable)।

3.10 नियम 3.2 के अन्तर्गत निर्धारित धरोहर राशि उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी भी अधिसूचित बैंक/राज्य एवं जिला सहकारी बैंक/अरबन को–ऑपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार किये गये बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में देय होगा।

3.11 आवेदन पत्र केवल निर्धारित प्रारूप मय शपथ पत्र, पात्रता की सभी शर्तों हेतु वांछित दस्तावेज एवं डिमांड ड्राफ्ट के साथ स्वीकार्य होगें। आवेदन पत्र को निरस्त/अस्वीकार्य करने का अंतिम निर्णय जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय आवंटन समिति द्वारा लिया जाएगा।

3.12 आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रक्रिया शुल्क तथा धरोहर राशि (EMD) से सम्बन्धित बैंक ड्राफ्ट आबकारी नीति घोषित होने की तिथि से पूर्व के स्वीकार्य नहीं होगें।

3.13 आवेदक/आंवटी को मदिरा की खुदरा दुकान वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आवंटित की जायेगी और

Brahi

Scanned with CamScanner

आंवटी निर्धारित राजस्व की देयता हेतु जिम्मेदार होगा।

3.14 वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपदुकानें नवसृजित नहीं की जाएंगी किन्तु विगत वर्ष 2024–25 में सुचारु रूप से संचालित उपदुकानों को आगामी वित्तीय वर्ष 2025–26 में संचालन का अनुमोदन आबकारी आयुक्त से व्यवस्थापन की प्रक्रिया से पूर्व ही प्राप्त करना होगा। वित्तीय वर्ष 2025–26 में जनसंवेदनाओं एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत आबकारी आयुक्त वित्तीय वर्ष 2024–25 में संचालित किसी भी उपदुकान को पूर्ण रूप से बंद कर सकेंगे, इसके लिए अनुज्ञापी द्वारा राजस्व वापसी का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा।

3.15 उपर्युक्त बिन्दु 3.1 की प्रक्रिया के अनुसार जिन दुकानो का व्यवस्थापन लाटरी के माध्यम से किया जायेगा, जिसके लिए प्रथम चरण की लॉटरी में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई/मूल निवासी पात्र होंगे तथा द्वितीय चरण की लॉटरी के लिए में कोई भी भारतीय नागरिक पात्र होंगे।

3.16 लॉटरी द्वारा आवंटन की प्रक्रियाः–

1. प्रथम चरण की लाटरी प्रकिया में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई/मूल निवासी पात्र होगा।

   1. प्रथम चरण के पश्चात शेष अव्यवस्थापित मदिरा दुकान के लिए द्वितीय चरण की लाटरी प्रकिया में कोई भी भारतीय नागरिक पात्र होगा।
   2. उपरोक्त दोनो चरणो के उपरान्त भी यदि कोई मदिरा दुकान व्यवस्थापित नही हो पाती है तो कोई भी पात्र भारतीय नागरिक जिलाधिकारी के समक्ष निर्धारित राजस्व पर मदिरा दुकान लेने के लिए आवेदन करता है तो अन्य औपचारिकताओं के साथ अनुज्ञापन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जमा करने पर जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित मदिरा दुकान का आंवटन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्वान्त के अनुसार किया जाएगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि उत्तराखण्ड राज्य के बाहर के आवेदक को हैसियत के रूप में केवल राष्ट्रीयकृत बैंक की एफडीआर जमा करनी होगी जो जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होगी।

3.17 उपरोक्त प्रक्रिया में कोई भी मदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है तो संबंधित जनपद द्वारा प्रश्नगत दुकान के निर्धारित राजस्व के सापेक्ष सार्वजनिक विज्ञप्ति द्वारा ऑफर आमंत्रित किया जायेगा। अधिकतम ऑफरदाता के पक्ष में दुकान आवंटन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी की आख्या पर प्रदेश के राजस्व हित में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

उक्त के साथ दिनांक 31मार्च 2025 तक यदि कोई मदिरा दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है तो इस दशा में व्यवस्थापन में लगे समय दिवसों को छोड़कर वास्तविक संचालित दिवसों हेतु आगणित राजस्व के आधार पर संबंधित मदिरा दुकान के राजस्व का पुनर्निर्धारण किया जाएगा।

3.18 वित्तीय वर्ष 2025–26 में निर्धारित राजस्व पर मदिरा दुकानों के प्रथम आवंटन में व्यवस्थापन ना होने की दशा में राजस्व हित में वित्तीय वर्ष 2024–25 के संबंधित दुकान के अनुज्ञापी को वित्तीय वर्ष 2024–25 के राजस्व पर दैनिक आधार पर आवंटित किए जाने के लिए वरीयता दी जाएगी किन्तु प्रतिबंध यह होगा कि यदि इससे अधिक दैनिक राजस्व पर कोई अन्य आवेदक/ऑफर दाता आवेदन

Scanned with CamScanner

करता है तो लाइसेंस प्राधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी अधिक ऑफर दाता को दुकान का पूर्णकालिक व्यवस्थापन होने तक दैनिक आधार पर आवंटन किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष के मध्य में मदिरा दुकान के पुनर्व्यवस्थापन होने की दशा में निरस्तीकरण से पुनर्व्यवस्थापन होने की कालावधि तक उपर्युक्त प्रतिबंधों के अधीन दैनिक आधार पर दुकान संचालन की अनुमति दी जा सकेगी। इस परिस्थिति में आउटगोइंग लाइसेंसी को दैनिक आधार पर दुकान संचालन का अवसर नहीं दिया जाएगा।

वित्तीय वर्ष के मध्य में मदिरा दुकान निरस्तीकरण की दशा में राजस्व हित में पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही जिला आबकारी अधिकारी के परामर्श से जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी।

3.19 उपरोक्त समस्त चरणों में लाटरी के माध्यम से, प्रथम आवक प्रथम पावक, अधिकतम ऑफर से जो आवेदक चयनित होगा उसे आवेदित दुकान की लाईसेंस फीस तत्काल जमा करना होगा। लॉटरी प्रक्रिया माध्यम से चयन होने पर मौके पर ही तत्काल अनुज्ञापन शुल्क जमा नहीं करनेवाले आवेदक काचयन निरस्त माना जायेगा तथाउसके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और उसी समय प्रश्नगत दुकान का आवंटन शेष आवेदको से लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से पुनः चयन किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया तब तक जारी रहेंगी जब तक दुकान का आंवटन सम्पन्न न हो जाये। लाटरी/चयन प्रक्रिया के समय आवेदक या उसका अधिकृत प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा, लाटरी/चयन प्रक्रिया के दौरान किसी आवेदक का चयन होने पर आवेदक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुपस्थिति की दशा में यदि चयन निरस्त होता है तोउसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

3.20 एक आवेदक/सह आवेदक को राज्य में अधिकतम तीन मदिरा की दुकानें ही आवंटित की जा सकेंगी। यदि किसी आवेदक/सह आवेदक को राज्य में उपरोक्तानुसार मदिरा दुकानें आवंटित हो जाती है, तो वह राज्य की अन्य मदिरा दुकान आवंटन के लिए पात्र नहीं होगा। आवेदक को अधिकतम तीन मदिरा दुकानें आवंटित हो जाने पर अन्य मदिरा दुकानों हेतु उसके द्वारा किये गये आवेदन को स्वतः निरस्त माना जायेगा।

3.21 समस्त आवंटन प्रक्रिया के स्थलएवं चयनित अनुज्ञापी द्वारा की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की समस्त कार्यवाहियाँ सीसी कैमरे (With DVR) एवं विडियो कैमरा (Hand Held) की निगरानी में किया जाएगा तथा इसकी रिकॉर्डिंग का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त पारदर्शी प्रक्रिया को सुनिश्चित किए जाने का उत्तरदायित्व जिला आबकारी अधिकारी का होगा। आवेदकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा।

3.22 आवेदन पत्र में नॉमिनी का नाम, आवेदक का दूरभाष नंबर तथा ईमेल आईडी अंकित किया जाना आवश्यक होगा। यदि आवेदक/आंवटी/अनुज्ञापी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कोई सूचना भेजी जाती है, तो वह सूचना (पत्र, नोटिस आदि) विधिवत प्राप्त समझी जाएगी।

4. <u>मदिरा दुकान हेतु निर्धारित औपचारिकताएँ</u>

चयनित आंवटी/अनुज्ञापी को निम्न निर्धारित औपचारिकताएँ उनके सम्मुख निर्धारित दिवसों के

Scanned with CamScanner

भीतर पूर्ण नहीं करने पर उसको आवंटित मदिरा दुकान का आवंटन अनुज्ञापी के जोखिम पर उत्तराखण्ड आबकारी (देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की खुदरा बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 यथा संशोधित के अन्तर्गत निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी तथा आवंटी द्वारा जमा किये गये समस्त धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर सम्बन्धित दुकान का आवंटन पुनः निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा:–

4.1 आवेदक के चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति चयन की तिथि से 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत की जायेगी।

4.2 अनुज्ञापी को मदिरा की दुकान के आवंटन के 30 दिवस के भीतर वर्ष 2025–26 के लिए जारी हैसियत प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। वित्तीय वर्ष 2026–27व 2027–28 हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए नवीनीकृत हैसियत प्रमाण पत्र मदिरा दुकान के नवीनीकरण के 30 दिवस के भीतर जमा करानी अनिवार्य होगी।

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा होने के पश्चात 15 दिवस के भीतर हैसियत प्रमाण पत्र में उल्लिखित संम्पत्ति को अनुज्ञापन अवधि एवं देयता के बेबाक होने तक जिलाधिकारी के आदेशों से आबकारी विभाग के पक्ष में संबंधित उपनिबंधक कार्यालय में बंधक कराया जाना अनिवार्य होगा। इससे संबंधित स्टाम्प ड्यूटी का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

4.3 प्रथम प्रतिभूति की धनराशि को मदिरा दुकान आवंटन की तिथि से 30 दिवसों तक नकद एवं द्वितीय प्रतिभूति आवंटन की तिथि से 30 दिवसों तक नकद अथवा ई–बैंक गारंटी/बैंक गारंटी के रूप में जो उत्तराखण्ड राज्य में स्थित आर०बी०आई० द्वारा मान्यता प्राप्त बैंकों द्वारा ही जारी की गयी हो अथवा ई–एफ०डी०आर०/एफ०डी०आर० के रूप में दिनांक 30.04.2025 तकजमा करना अनिवार्य होगा। 1 अप्रैल 2025 के बाद आवंटित होने वाली मदिरा दुकानों के लिए आवंटन की तिथि से एक माह का समय प्रथम प्रतिभूति व द्वितीय प्रतिभूति जमा करने के लिए प्रदान किया जाएगा। प्रथम व द्वितीय प्रतिभूति पृथक–पृथक कुल वार्षिक न्यूनतम गारण्टेड अभिकर के 1/12 भाग के बराबर होगी। एफ०डी०आर०जिला आबकारी अधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होगी। जमा की गई बैंक गारंटियों का सत्यापन जिला आबकारी अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। उक्त व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 व 2027–28 हेतु यथावत लागू रहेगी।

4.4 मदिरा दुकानों के ऐसे अनुज्ञापी जिनके द्वारा निर्धारित दोनों प्रतिभूतियाँ तथा हैसियत प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा कराया जा चुका है ऐसी स्थिति में सम्बन्धित अनुज्ञापियों द्वारा निर्धारित मासिक अधिभार विलम्ब से जमा करने की स्थिति में मदिरा दुकान के अनुज्ञापन के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में लाईसेन्स प्राधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा 60 दिवस की अवधि के अन्दर राजस्व हित में निर्णय कर सकेंगे।

4.5 संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा 38–ए के प्राविधानानुसार विलंब से जमा समस्त राजस्व देयताओं (अधिभार सहित) पर ब्याज का आगणन किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं आगामी वर्ष में जनपदों द्वारा लाइसेंस फीस, प्रथम प्रतिभूति, द्वितीय प्रतिभूति तथा अधिभार पर ब्याज का आगणन संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा 38–ए के प्राविधानानुसार किया जाएगा यदि संबंधित अनुज्ञापियों से अधिक ब्याज

Scanned with CamScanner

की वसूली की गई है, तो उसे अनुज्ञापी की देयताओं के सापेक्ष समायोजित किए जाने व प्रतिदाय का निर्णय आबकारी आयुक्त द्वारा लिया जाएगा।

4.6 फुटकर मदिरा अनुज्ञापनों में दुकान संचालन करने से पूर्व प्रत्येक दशा में अग्नि से बचाव हेतु सुरक्षा उपकरण/अग्निशमन यंत्र लगाए जाने अनिवार्य होंगे। थोक अनुज्ञापनों हेतु उक्त व्यवस्था में अग्निशमन यंत्र लगाने की उद्घोषणा करेगा।

5 देशीमदिरा

5.1 देशी मदिरा पर रू० 25/– प्रति ए०एल० की दर से उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) देय होगी।

5.2 देशी मदिरा दुकानों में 36 प्रतिशत v/vतीव्रता की मसालेदार शराब या 25 प्रतिशत v/v तीव्रता की मसालेदार एवं सादा शराब की आपूर्ति की जायेगी।

5.3 देशी मदिरा की 36% v/v तीव्रता पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी निम्न प्रकार रहेंगीः–

क्र०सं०	एम0जी0डी0 (प्रति बल्क लीटर) (रू0 में) 36% v/v
	वर्ष 2025–26, 2026–27 व2027–28
01	290

25% v/v पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी समानुपातिक आधार पर ली जायेगी।

5.4 मदिरा दुकान की निर्धारित न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी में बिन्दु संख्याः 5.3 के अनुसार निर्धारित प्रति बल्क लीटर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि से भाग देकर खुदरा दुकानवार मदिरा की निकासी ब०ली० में माह में प्राप्त की जा सकेगी। देशी मदिरा के अतिरिक्त उठान पर सम्पूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर (एम0जी0डी0) देय होगा।

5.5 प्रदेश में बिक्री/भराई हेतु देशी मदिरा की बोतल एवं अद्धे की भराई कांच में तथा 180 एमएल एवं 200 एमएल देशी मदिरा की बिक्री/भराई केवल टेट्रा पैक में की जासकेगी।

राज्य की आसवनियों द्वारा अन्य राज्यों में देशी मदिरा के निर्यात हेतु टेट्रा पैक/काँच/पेट बोतल आदि श्रेणियों में देशी मदिरा की भराई की जा सकेगी।

5.6 प्रदेश की मदिरा दुकानों में मदिरा का अंतरण जनपद के भीतर जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से 50 रुपये प्रति पेटी शुल्क देकर तथा अंतरजनपदीय दुकानों के मध्य 150 रुपये प्रति पेटी शुल्क देकर आबकारी आयुक्त की अनुमति से किया जा सकेगा परंतु प्रतिबंध यह होगा कि उक्त अंतरण से प्रदेश के आबकारी राजस्व में किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो। उक्त अंतरण की गई मदिरा का उठान मदिरा अंतरित किए गए जनपद के एफ०एल०–2/सी०एल०–2 से किया जा सकेगा।

5.7 खुदरा देशी मदिरा दुकानों में भारत में विनिर्मित बीयर की बिक्री ही अनुमन्य होगी। देशी मदिरा दुकानों मे वाइन तथा आर०टी०डी० की बिक्री अनुमन्य नहीं होगी।

Scanned with CamScanner

5.8 राज्य में देशी मदिरा ब्रांड का नाम स्थानीय फलों के नाम पर रखे जाएंगे जैसे – माल्टा, कीनू, काफल, लीची, खुमानी, आडू इत्यादि एवं उनका लेबल वित्तीय वर्ष 2023–24 अथवा उससे पूर्व स्वीकृत लेबल से पूर्णतः भिन्न होगा। विगत वित्तीय वर्षों में रजिस्टर्ड/स्वीकृत लेबल/ब्रांड के मिलते–जुलते नाम के लेबल व ब्रांड स्वस्थ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत नहीं किए जाएंगे, उल्लंघन किए जाने पर लेबल अस्वीकृत माना जाएगा तथा दंडात्मक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही स्वीकृताधिकारी द्वारा की जाएगी। देशी मदिरा में स्थानीय फलों के गुणवत्तायुक्त स्वाद हेतु अर्क, तत्व, सार आदि का समावेश कियाजाना अनुमन्य होगा।

विगत वर्ष 2024–25 में स्वीकृत देशी मदिरा के लेबिल/नाम यदि आसवनियों द्वारा समान रखे जाते है तो पूर्व में स्वीकृत लेबिलों/नामों को उनकी विगत वर्ष के आवंटन एवं बिक्री आधार पर वरीयता दी जायेगी।

उक्त व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 व 2027–28 हेतु यथावत लागू रहेगी।

6. विदेशी मदिरा

6.1 विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) की दर निम्नानुसार रहेगीः–

विदेशी मदिरा की भरी बोतलों के मामले में उत्पाद शुल्क की दर ई०डी०पी० वार निम्नवत रहेगीः–

क्र० सं०	एक्स आसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	उत्पाद शुल्क प्रति ए0एल0 (रू0 में)		
		2025–26	2026–27	2027–28
1	रू0 50.00 तक	363	377	392
2	रू0 50.01 से रू0 75.00 तक	400	416	432
3	रू0 75.01 से रू0 110.00 तक	465	483	502
4	रू0 110.01 से रू0 125.00 तक	505	525	546
5	रू0 125.01 से रू0 150.00 तक	551	573	595
6	रू0 150.01 से रू0 300.00 तक	561	583	606
7	रू0 300.01 से रू0 500.00 तक	612	636	661
8	रू0 500.01 से रू0 900.00 तक	638	663	689
9	रू0 900.01 से अधिक	648	673	700

6.2 अन्य मामलों में विदेशी मदिरा के उत्पाद शुल्क की दर वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु रू० 400/–प्रति अल्कोहलिक लीटर (ए०एल०), वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु रू० 416/–प्रति अल्कोहलिक लीटर

Scanned with CamScanner

(ए०एल०) व वित्तीय वर्ष 2027–28 26 हेतुरू० 433/–प्रति अल्कोहलिक लीटर (ए०एल०) रहेगी।

6.3 विदेशी मदिरा की खुदरा दुकान हेतु निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी (एम0जी0डी0) की गणना हेतु दरें प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर होगी,

परन्तु यह और कि अद्धा तथा पव्वा की प्रति पेटी ई0डी0पी0 बोतल की तुलना में क्रमशः रू0 10/– तथा रू0 20/– की सीमान्तर्गत होने की स्थित में एक ही ब्राण्ड की बोतल, अद्धा एवं पव्वा पर निर्धारित एम0जी0डी0 की दर बोतल की ई0डी0पी0 के आधार पर समान रखी जायेगी व एक्साईज ड्यूटी की गणना वास्तविक स्लैब के आधार पर की जायेगी। अन्य धारिता की बोतलों की एमजीडी की गणना समानुपातिक आधार पर होगी।

क्र० सं०	एक्स आसवनी मूल्य (प्रति बोतल 750एमएल अथवा उसके समानुपातिक)	एमजीडी प्रति बोतल (रू0 में)		
		2025–26	2026–27	2027–28
1	रू0 50.00 तक	207	216	223
2	रू0 50.01 से रू0 75.00 तक	238	248	256
3	रू0 75.01 से रू0 110.00 तक	265	276	286
4	रू0 110.01 से रू0 125.00 तक	289	301	312
5	रू0 125.01 से रू0 150.00 तक	306	319	330
6	रू0 150.01 से रू0 300.00 तक	321	334	346
7	रू0 300.01 से रू0 500.00 तक	368	383	397
8	रू0 500.01 से रू0 900.00 तक	433	451	468
9	रू0 900.01 से अधिक	552	575	595

6.4

a) विदेशी मदिरा दुकान की निर्धारित न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी में बिन्दु संख्याः 6.3 के अनुसार निर्धारित प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि से भाग देकर खुदरा दुकानवार मदिरा की निकासी बोतलों में माहवार प्राप्त की जा सकेगी।

b) गढ़वाल मण्डल के जनपद देहरादून तथा हरिद्वार तथा सम्पूर्ण कुमायूं मण्डल के जनपदों में स्थित खुदरा विदेशी मदिरा दुकानों में वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु रुपये 207 एमजीडीए वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु रुपये 216 एमजीडी व वित्तीय वर्ष 2027 –28 हेतु रुपये 223 एमजीडी वाली विदेशी मदिरा के अद्धा व पव्वा की बिक्री अनुमन्य नहीं होगी।

6.5 विदेशी मदिरा के अतिरिक्त उठान पर सम्पूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर (एम0जी0डी0) देय होगी।

Scanned with CamScanner

6.6 विदेशी मदिरा की खुदरा दुकान पर निर्धारित शर्तों के अधीन एफ०एल०–5 डी० लाईसेंसी द्वारा दुकान की चौहद्दी से लगे परिसर में मदिरा उपभोग की व्यवस्था सुविधानुसार की जा सकेगी जिसके लिए एफ०एल०–5 ई० लाईसेंस (कैंटीन) लेना होगा। एफ०एल०–5 ई० की लाईसेंस फीस दुकान की लाईसेंस फीस के 15 प्रतिशत के बराबर होगी, यदि लाइसेंसी कैंटीन में मोटे अनाज विशेष तौर पर पर्वतीय अंचल में पैदा होने वाले मोटे अनाज मँडुवा, झँगोरा, कोदा, काला भट आदि तथा स्थानीय फल कीनू, माल्टा, काफल, सेब, नाशपाती, तिमूर, आडू,पहाड़ी खीरा, पुलम इत्यादि फलों को और इनसे बने भोज्य पदार्थों को उपभोक्ताओं को परोसेगातब एफ०एल०–5 ई० की लाईसेंस फीस दुकान की लाईसेंस फीस के 10 प्रतिशत के बराबर जमा करने पर कैंटीन का संचालन किया जा सकेगा। इसके लिए लाइसेंसी स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि या अन्य किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से मदिरा के उपभोग के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त नाश्ता, भोजन के परोसने की सुविधा से सुसज्जित कैंटीन खोलेगा। जो एफ०एल०–5 डी० अनुज्ञापी देशी, विदेशी मदिरा दुकान के अहाते में मोटे अनाज जैसे मँडुवा, झँगोरा, कोदा, काला भट, पर्वतीय अंचल के फल व उनसे बने उत्पाद को परोसेगा और 31 मार्च 2026 तक राजस्व की देयताएं बेबाक होने पर कैन्टीन/अहाता के अनुज्ञापन शुल्क में शत प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

6.7 उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री हेतु विदेशी मदिरा के पव्वे जिनकी धारिता 180 ml तथा 200 ml हो सकेगी की भराई एवं बिक्री टेट्रा पैक/स्टील केन/हिपएस्टर पैक (hipster pack)/काँच बोतल में आबकारी आयुक्तद्वारा अनुमन्य की जा सकेगी।

6.8 उत्तराखण्ड राज्य से निर्यात हेतु विदेशी मदिरा की भराई टेट्रा पैक/स्टील केन/हिपएस्टर पैक (hipster pack)/पेट बोतल में आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमन्य की जा सकेगी।

उक्त नियम 6 की व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 व 2027–28 हेतु यथावत लागू रहेगी।

7. **प्रदेश में बीयर की दुकानों का सृजन व व्यवस्थापनः**–

7.1 राज्य में बीयर की दुकानों के सृजन की अनुमति नहीं होगी।

7.2 खुदरा विदेशी मदिरा की दुकानों सेपूर्व की भांति बीयर/वाईन/आर०टी०डी० की बिक्री की जा सकेगी।

8. **बीयर/वाईन/आर0टी0डी0 की निकासी पर उत्पाद शुल्क, एम0जी0डी0 तथा एसेसमेंट फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः**–

8.1 संदेय उत्पाद शुल्क (एक्साईज ड्यूटी) की दर पाँच प्रतिशत (5% v/v) तक तथा 5 प्रतिशत से अधिक एल्कोहल तीव्रता की बीयर पर निम्नानुसार रहेगीः–

क्र० सं०	बीयर का प्रकार	उत्पाद शुल्क (एक्साईज ड्यूटी) प्रति बल्क लीटर में
		2025–26
1	Mild Beer (upto 5% v /v)	50
2	Strong Beer (Above 5% v /v)	81

संदेय उत्पाद शुल्क (एक्साईज ड्यूटी) की दर पाँच प्रतिशत (5% v/v) तक तथा 5 प्रतिशत से अधिक

Scanned with CamScanner

एल्कोहल तीव्रता की बीयर पर उत्पाद शुल्क प्रति बल्क लीटर वर्ष 2026–27 व 2027–28 के लिए उपरोक्तानुसार वर्ष 2025–26 के समान रहेगी:–

वाईन/आर०टी०डी० पर भी आबकारी उत्पाद शुल्क बीयर के समतुल्य देय होगा।

उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित फलों जैसेः– अंगूर, सेब, माल्टा इत्यादि से राज्य में स्थापित वाईनरी से वाईन के निर्माण/उत्पादन की प्रथम बिक्री/आपूर्ति से 15 वर्षो तक एक्साईज ड्यूटी एवं आबकारी विभाग द्वारा टैक्स, ड्यूटी फीस आदि से मुक्त रहेगा। उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना की संख्याः 57/XXIII/2013/04(54)/2012 देहरादूनः दिनांकः 23, जनवरी, 2013 की अन्य शर्ते व नियम यथावत् रहेंगे।

8.2 **बीयर/वाईन/आर०टी०डी० की निकासी पर देय एम०जी०डी०:–**

बीयर, वाईन एवं आर0टी0डी/एल0ए0बी0 की निकासी पर 25 रूपये प्रति बोतल (650 ml) न्यूनतम गारण्टीड अभिकर लिया जायेगातथा अन्य धारिता में समानुपातिक आधार पर न्यूनतम गारण्टीड अभिकर देय होगा जो माह की एमजीडी में सम्मिलित रहेगा।

8.3 बीयर/वाईन/आर0टी0डी0 की निकासी पर एसेसमेंट फीस प्रति बल्क लीटर निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी:–

क्र० सं०	विवरण	वर्ष 2025–26, 2026–27 व 2027–28 हेतु दर
1	5 प्रतिशत तीव्रता तक की बीयर/आर0टी0डी0 पर प्रति बल्क लीटर एसेसमेंट फीस की दर	रू0 47/–
2	8 प्रतिशत तीव्रता तक की बीयर/आर0टी0डी0 पर प्रति बल्क लीटर एसेसमेंट फीस की दर	रू0 55/–
3	वाईन पर प्रति बल्क लीटर एसेसमेंट फीस की दर	रू0 40/–

9 **प्रदेश में मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में विदेशी मदिरा/वाईन की बिक्रीः–**

9.1 प्रदेश में मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में स्थित मदिरा की दुकानों में केवल समुद्रपार से आयातित मदिरा, बीयर, वाईन, आर०टी०डी० की बोतलो तथा मिनीएचर्स (अद्धे, पव्वे की बिक्री प्रतिबंधित) की बिक्री अनुमन्य होगी। प्रदेश के राजस्व हित में मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में समुद्रपार आयातित मदिरा के अतिरिक्त केवल उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित आसवनियों, वाइनरियों मे निर्मित वाइन, रम, जिन एवं वोदका की बोतलो (अद्धे, पव्वे की बिक्री प्रतिबंधित) की बिक्री की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में 5% या उससे कम तीव्रता वाली भारत में विनिर्मित बीयर की बिक्री भी अनुमन्य होगी।

मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि 31 मार्च 2025 तक उनके द्वारा क्रय की गई उपरोक्त समस्त प्रतिबंधित मदिरा, बीयर, वाईन, आर०टी०डी० बिक्री कर ली गई है। बिक्री हेतु प्रतिबंधित स्टॉक अवशेष रह जाने की दशा में 1 अप्रैल 2025 को सील कर दिया जाएगा।

Scanned with CamScanner

उक्त व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 व 2027–28 हेतु यथावत लागू रहेगी।

9.2 मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में वर्ष 2025–26 व 2026–27 हेतु मदिरा बिक्री का अनुज्ञापन शुल्क निम्नवत होगा।

क्षेत्र	वार्षिक शुल्क
जनपद हरिद्वार, जनपद ऊधमसिंहनगर, जनपद देहरादून के डोईवाला, ऋषिकेश तथा देहरादून तहसील, जनपद नैनीताल की नैनीताल, हल्द्वानी तथा रामनगर तहसील	रुपये 22 लाख
जनपद देहरादून के मसूरी, जनपद नैनीताल के नैनीतालशहर, रामनगर एवं जनपद टिहरी में नरेंद्रनगर	रुपये 18 लाख
अन्य स्थानों पर	रुपये 05 लाख
प्रीमियम वेन्ड एफएल–5 ए०एस० (हवाई अड्डा)	रुपये 07 लाख

नोट– उपरोक्त अनुज्ञापन शुल्क अनुज्ञापन प्रारंभ होने वाले मास से समानुपातिक आधार पर एकमुश्त देय होगा।

1. मॉल्स/डिपार्टमेंटल स्टोर में मदिरा बिक्री हेतु दुकान का न्यूनतम क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट होगा। यदि दुकानो के न्यूनतम क्षेत्रफल के संबध में प्रारिथति विशेष के दृष्टिगत शिथिलता की आवश्यकता हो तो राजस्व हित में आबकारी आयुक्त निर्णय ले सकेगें।
2. वर्तमान में संचालित विदेशी मदिरा दुकान (एफएल–5डी), मॉल्स(एफएल–5एम)/डिपार्टमेन्टल स्टोर (एफएल–5डीएस) के 600 मीटर की सड़क मार्ग दूरी से कम पर नवीन अनुज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे।

9.3 **मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर हेतु निकासी की व्यवस्था –**

मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर के लिए जिला आबकारी अधिकारी द्वारा मदिरा दुकान के लिए परमिट जारी किया जायेगा, जिसके सापेक्ष एफ0एल0–36 क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक द्वारा ही जारी किया जाएगा।

एफ0एल0–5डी०एस०/5एम० द्वारा वांछित मदिरा स्टॉक जनपद की मदिरा दुकान पर उपलब्ध ना होने के सम्बन्ध में जिला आबकारी अधिकारी की आख्या पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य के अन्य जनपदों से आपूर्ति हेतु अनुमति दे सकेगे।

एफ0एल0–5डी०एस०/5एम० अनुज्ञापनों के नवीनीकरण का शुल्क रुपये 50000(रुपये पचास हजार) होगा जो निर्धारित लाइसेंस फीस के अतिरिक्त होगा। एफ0एल0–5 डी०एस०/5 एम० अनुज्ञापनों के नवीनीकरण जिला आबकारी अधिकारी की संस्तुति उपरांत लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा

Scanned with CamScanner

किया जा सकेगा।

9.4 प्रदेश के हवाई अड्डा/एयरपोर्ट पर संचालित एफ०एल०–5 ए०एस० अनुज्ञापन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया से अनुबंध के अनुरूप मदिरा ब्राण्डों की बिक्री कर सकेगा।

10. मदिरा दुकानों/बार, मॉल/डिपार्टमेन्टल स्टोर से मदिरा/बीयर की बिक्री की समय अवधिः–

10.1 राज्य में देशी/ विदेशी मदिरा की दुकानों के खुलने का समय प्रातः 09:00 से रात्रि 11:00 बजे तक रहेगा। अन्तर्राज्य सीमा के 10 किमी के अन्तर्गत स्थित मदिरा की दुकानें रात्रि 12:00 बजे तक खोली जा सकेगी।

10.2 राज्य में एफ०एल०–5एम/डी०एस० मदिरा की दुकानों के खुलने का समय प्रातः 09:00 से रात्रि 11:00 बजे तक रहेगा।

10.3 राज्य में संचालित बारों के खुलने का समय प्रातः 11:00 से रात्रि 11:00 बजे तक रहेगा तथा शनिवार एवं रविवार को प्रातः 11:00 से रात्रि 12:00 बजे तक रहेगा। वेड इन उत्तराखण्ड के दृष्टिगत पाँच सितारा, चार सितारा होटल/समकक्ष होटल,रिसॉर्ट में बार अनुज्ञापियों को प्रतिवर्ष प्रति घंटा तीन लाख अतिरिक्त वार्षिक शुल्क जमा करवर्ष या वर्ष के भाग के लिए निर्धारित समयावधि से दो घंटा अतिरिक्त समय बार संचालन की अनुमति आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमन्य की जा सकेगी। इस हेतु संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी की स्पष्ट संस्तुति प्रेषित होने की दशा में गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

11. मदिरा के अवशेष स्टॉक के निस्तारण के सम्बन्ध में:–

11.1वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुज्ञापी जिन्होनें वर्ष 2025–26 के निर्धारित राजस्व पर दुकान का नवीनीकरण निर्धारित प्रकिया के अनुसार करायेगा, उन अनुज्ञापियों की मदिरा दुकान में दिनांकः 31 मार्च, 2025 को अविक्रित अवशेष स्टॉक आगामी वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु स्वीकृत एम०आर०पी० पर बिक्री के लिए अनुमन्य होगा, उक्त स्टॉक पर कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

यदि दुकान का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से नहीं होता है तो अवशेष मदिरा स्टॉक का हस्तान्तरण आपसी सहमति के आधार पर नये अनुज्ञापी को हस्तान्तरित किया जा सकता है, परन्तु नये अनुज्ञापी को देय एम०जी०डी० व अन्य देय राजस्व जमा करना होगा, जो माह में तय एम०एम०जी०डी० में सम्मिलित होगा।

11.2 यदि नया अनुज्ञापी नियम–11.1 के अनुसार अवशेष स्टॉक को हस्तान्तरित नहीं करना चाहता है, तो अवशेष स्टॉक का निस्तारण उत्तराखण्ड आबकारी (देशी मदिरा/विदेशी मदिरा व बीयर की खुदरा बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 (यथासंशोधित) के अनुसार किया जायेगा। उक्त कार्यवाही वित्तीय वर्ष के 15 अप्रैल तक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा की जा सकेगी, तदपश्चात 30 अप्रैल तक आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

11.3 एफएल 5 एम/डीएस तथा बार अनुज्ञापन में वित्तीय वर्ष 2024–25 के अवशेष स्टाक पर वित्तीय वर्ष 2025–26 की एमजीडी के अन्तर की धनराशि देय होगी।

Scanned with CamScanner

11.4 यदि वित्तीय वर्ष 2024–25 में संचालित एफ०एल०–2 अनुज्ञापी अपने एफ०एल०–2 अनुज्ञापन से वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु स्वीकृत/निर्गत एफ०एल०–2 अनुज्ञापन को मदिरा स्थानान्तरित करना चाहता है, तो जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु स्वीकृत/निर्गत एफ०एल०–2 अनुज्ञापन को मदिरा स्थानान्तरित कर सकेगा।

11.5 राज्य के भीतर विभिन्न जनपदों के एफ०एल०–2/सी०एल०–2 के मध्य स्टॉक का अंतरण आबकारी आयुक्त की अनुमति से वित्तीय वर्ष मे कभी भी किया जा सकेगा। जिस पर 100 रुपये प्रति पेटी की दर से अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा।

उक्त व्यवस्था नियम 11 हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 एवं 2027–28 में यथावत लागू रहेगी।

12 **मदिरा का विक्रय मूल्यः–**

मदिरा के विक्रय मूल्य के परिपेक्ष्य में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किये जाने के उद्देश्य से देशी /विदेशी मदिरा/ बीयर/ वाईन/ आर०टी०डी० का अधिकतम/न्यूनतम खुदरा बिक्री मूल्य अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

12.1 **विदेशी मदिरा, बीयर, वाईन व आर0टी0डी0का विक्रय मूल्यः–**

a) एफ०एल०–5डी हेतु विदेशी मदिरा, बीयर व वाईन/आर0टी0डी0 का अधिकतम/न्यूनतम खुदरा बिक्री मूल्य निम्न सूत्र से वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2027–28 तक निर्धारित किया जाएगाः–

क0स0	विवरण
1.	ई0डी0पी0 (नियम 12.5 के क्रम में आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत)
2.	निर्यात शुल्क (निर्यातक इकाई के राज्य में प्रभावी)
3.	आयात शुल्क (विदेशी मदिरा में रू0 10 प्रति 750 एम0एल0 (01 बोतल= 02 अद्धा = 04 पव्वा) तथा बीयर व वाईन/आर0टी0डी0 में रू0 05 प्रति 650 एम0एल0 की दर से) अन्य धारिता में समानुपातिक आधार पर लिया जायेगा/ बॉटलिंग फीस (मदिरा जिनकी भराई उत्तराखण्ड राज्य में की जा रही है।)
4.	योग
5.	वाणिज्य कर (12%)
6.	योग
7.	एफ०एल०–2 लागत मूल्य
8.	सेस 2 प्रतिशत उपकर (उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम– 2015 की धारा–03 की उपधारा 1,खण्ड 'ख' के क्रम में लागू)
9.	एफ०एल०–2 अनुज्ञापन धारक का व्यय 70/– रूपये प्रति पेटी
10.	महिला सशक्तिकरण, खेलकूद को बढावा देने तथा गौ संरक्षण के लिये प्रत्येक विदेशी मदिरा /बीयर की प्रत्येक बोतल पर प्रति मद रू0 01, (अर्थात प्रत्येक बोतल पर रू0 03) का उपकर देय होगा।
11.	होलोग्राम/ट्रैस एण्ड ट्रैक शुल्क
12.	प्रतिफल
13.	उत्पाद शुल्क (नियम 6.1 में ई0डी0पी0 वार)
14.	योग
15.	एम0जी0डी0 (एम0जी0डी0 नियम 6.3 में ई0डी0पी0 वार)

Scanned with CamScanner

16.	ऐसेस्मेन्ट फीस (ऐसेस्मेन्ट फीस नियम 8.3 के अनुसार)
17.	खुदरा विक्रेता का लागत मूल्य
18.	खुदरा विक्रेता का लाभांश (विदेशी मदिरा पर 20 प्रतिशत एवं बीयॅर/वाईन/आर0टी0डी0 पर 15 प्रतिशत लागत मूल्य का) of 14th Point
19.	प्रति बोतल एमएसपी (8 प्रतिशत् लाभांश के साथ)
20.	अधिकतम खुदरा मूल्य –विदेशी मदिरा के मामले में बोतल में रू० 10 के गुणांक में,अद्धा व पव्वा में 5 रुपये गुणांक में तथा बीयॅर/वाईन/आर0टी0डी0 के मामले में रू० 5 के गुणांक में निर्धारित किया जायेगा तथा अन्तर की धनराशि प्रतिफल (अतिरिक्त राजस्व) के रूप में राजकोष में जमा करायी जायेगी। उक्त अतिरिक्त प्राप्त राजस्व जनपद के राजस्व लक्ष्य का भाग माना जाएगा।

b) एफ०एल०–5डीएस/एम/एएस हेतु खुदरा बिक्री मूल्य नियम 12.1 a) के बिन्दु संख्या 18 में लाभांश को 8% रखते हुए एफ०एल०–5डीएस /एम/एएस को एफ०एल०–5डी से मदिरा विक्रय की जाएगी एवं एफ०एल०–5डीएस/एम/एएस अनुज्ञापनों को नियम 12.1 के बिन्दु संख्या 20 के अनुसार निर्धारित एमआरपी पर ही बिक्री करना अनिवार्य होगा। निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री किए जाने की दशा में नियम 12.6 के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।

बिन्दु संख्या 12.1 a) के क्रमांक 3 में उल्लिखित बॉटलिंग फीस आबकारी राजस्व हित में प्रदेश में स्थित आसवनियों में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय ईकाईयों को संरक्षण प्रदान करने, राज्य के बाहर से आयातित मदिरा से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित/संचालित उन्हीं विदेशी मदिरा उत्पादकों पर लागू होगी, जिनके द्वारा विदेशी मदिरा के निर्माण में उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित ई०एन०ए० से ही मदिरा का निर्माण किया जाएगा। अपरिहार्य स्थिति में आबकारी आयुक्त प्रदेश के बाहर से ई०एन०ए० आयात की अनुमति प्रदान कर सकेंगे।

12.2 **देशीमदिरा**

प्रदेश की देशी मदिरा दुकानों में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा को रोकने हेतु अधिकतम/न्यूनतम बिक्री मूल्य निम्न सूत्र के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2027–28 तक निर्धारित किया जाएगा तथा निम्न व्यवस्थाएं यथावत लागू रहेंगीः–

क्र० सं०	मद
1.	आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत आपूर्ति दर
2.	उत्पाद शुल्क (नियम 5.1 के अनुसार)
3.	योग (1+2)
4.	वाणिज्य कर @ 10%
5.	योग (3+4)
6.	सेस 2 प्रतिशत उपकर (उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम–2015 की धारा–03

Boshi

Scanned with CamScanner

	की उपधारा 1, खण्ड 'ख' के कम में लागू)
7.	महिला सशक्तिकरण, खेलकूद को बढावा देने तथा गौ संरक्षण के लिये प्रत्येक देशी मदिरा की प्रत्येक बोतल पर रू0 01, रू0 01, रू0 01 (अर्थात प्रत्येक बोतल पर रू0 03) का उपकर (सैस) देय होगा।
8.	सी०एल० 2 के लिए बिलिंग दर (5+6+7)
9.	सी०एल० 2 अनुज्ञापन धारक का लाभ (रुपये 4 प्रति 750 एम.एल.(36% V/V), रूपये 2 प्रति 375 एम.एल. (36% V/V), रूपये 1.50 प्रति 200 एम.एल. (36% V/V),रूपये 1 प्रति 180 एम.एल. (36% V/V)
10.	योग (8+9)
11.	प्रतिफल
12.	देशी मदिरा दुकान हेतु बिलिंग दर (10+11)
13.	न्यूनतम गारण्टीड अभिकर (नियम 5.3 के अनुसार)
14.	देशी मदिरा दुकान हेतु लागत मूल्य(10+13)
15.	देशी मदिरा दुकान कालाभांश @ 20%
16.	योग (14+15)
17.	प्रति बोतल एमएसपी (8 प्रतिशत् लाभांश के साथ)
18.	देशीमदिरा का खुदरा मूल्य (रू0 5 के गुणांक में) रू० 05 के गुणांक में यदि अधिकतम खुदरा मूल्य नहीं आता है, तो उसे 05 के गुणांक में अगले स्तर पर निर्धारित किया जायेगा तथा अन्तर की धनराशि प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त राजस्व) के रूप में राजकोष में जमा करायी जायेगी।उक्त अतिरिक्त प्राप्त राजस्व जनपद के राजस्व लक्ष्य का भाग माना जाएगा।

बिन्दु 10 में निर्धारित लागत मूल्य देशी मदिरा की एम०एस०पी० (न्यूनतम बिक्री मूल्य) होगी।

12.3 मदिरा दुकान/थोक अनुज्ञापन/बॉन्ड अनुज्ञापनपर अवशेष स्टॉक की बिक्री नवीन वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित MRP के स्टीकर अनिवार्य रूप से चस्पा करने के उपरांत ही की जायेगी।

12.4 प्रदेश की समस्त देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों से मदिरा की बिक्री पर विक्रेता द्वारा क्रेता के मांगे जाने पर कम्प्यूटर जनित/मैनुअल रसीद दी जायेगी एवं दुकानों मेंपर डिजिटल भुगतान यूपीआई आदि आवश्यक व्यवस्थाएं रखनी अनिवार्य होगी। दुकान पर डिजिटल भुगतान यूपीआई आदि आवश्यक व्यवस्थाएं न रखने एवं मांगे जाने पर बिल न दिये जाने पर न्यूनतम रूपये 5,000-(पाँचहजार रूपये) प्रशमन/शास्ति आरोपित की जायेगी।

Scanned with CamScanner

12.5 विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन/स्कॉच इत्यादि की निर्माता इकाईयों वजिन को आपूर्ति के विधिक अधिकार (Legal Rights) प्राप्त हो के द्वारा देश के किसी दो राज्यों में बिक्री किये जाने वाले ब्राण्डों की बिक्री ही उत्तराखण्ड राज्य में अनुमन्य होगी। उत्तराखण्ड राज्य में आपूर्ति किये जाने वाले ब्राण्डों की ई0डी0पी0 देश के किसी भी राज्य से अधिक नही होगी। इस आशय का शपथ पत्र निर्माता इकाईयों द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

यदि राज्यान्तर्गत मदिरा निर्माताओं (आसवनी/बॉटलिंग प्लाण्ट) द्वारा अपने कतिपय ब्राण्डों की बिक्री केवल उत्तराखण्ड राज्य में की जा रही हैं, तो इकाई द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया जायेगा, कि उक्त ब्राण्डों को यदि अन्य राज्यों में बेचा जायेगा तो उनकी ई0डी0पी0 उत्तराखण्ड राज्य से कम नहीं रखी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि राज्य में आसवनी/बॉटलिंग प्लाण्ट अपने ब्रॉण्डस का निर्माण कर उसकी आपूर्ति उत्तराखण्ड राज्य में कर सकती है, परन्तु बॉटलिंग प्लॉण्ट यदि किसी अन्य आसवनी की बॉटलिंग कर रही है, तो वह सम्बन्धित आसवनी के ब्रॉण्डस की भराई कर निर्यात अन्य राज्यों हेतु कर सकेंगे, परन्तु राज्य में बिकी उसी ब्रॉण्ड की कर सकेंगे, जिसकी आपूर्ति नियम–12.5 के प्रथम पैरा में उल्लिखित शर्तो को पूर्ण करता हो।

ओवरसीज मदिरा/बीयर/वाईन की ई0डी0पी0 एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य मानी जायेगी, इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

वित्तीय वर्ष हेतु किसी आसवक द्वारा अपने ब्राण्ड्स की ई0डी0पी0 में वृद्धि प्रस्तावित की जाती है, तो ई0डी0पी0 की स्वीकृति के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

वित्तीय वर्ष के मध्य में मात्र एक बार ई0डी0पी0 में परिवर्तन की अनुमति उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत दी जा सकेगी।

विदेशी मदिरा उत्पादकों द्वारा विभिन्न ब्राण्डस की ई0डी0पी0 घोषित किये जाने सम्बन्धी दिये गये शपथ पत्र में यदि यह पाया जाता है कि अन्य राज्य में इससे कम ई0डी0पी0 घोषित की गयी, तो प्रत्येक त्रुटिपूर्ण ई0डी0पी0 पर प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी तथा अधिक वसूली गयी ई0डी0पी0 भी जमा करवाई जायेगी के साथ अन्य वैधानिक कार्यवाही भी कीजा सकेगी।

12.6 प्रदेश की समस्त देशी/ विदेशी मदिरा की दुकानों पर शिकायत/निरीक्षण के दौरान अधिकतम खुदरा मूल्य (एम0आर0पी0) से अधिक की बिक्री किये/पाये जाने पर तथा एवं न्यूनतम खुदरा मूल्य (एम०एस०पी०) से कम दर पर बिक्री किये/पाये जाने पर निम्न दण्ड आरोपित किया जायेगाः–

1. प्रथम उल्लंघन पर एक लाख रूपये (1,00,000 रूपये) प्रशमन शुल्क/शास्ति आरोपित की जायेगी।
2. द्वितीय उल्लंघन पर मदिरा दुकान निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी*।

परंतुक–*जनपद आबकारी राजस्व हित को वरीयता दी जाएगी।

12.7 पुलिस अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा किसी भी फुटकर मदिरा दुकान अथवा थोक अनुज्ञापन का संचालन बिना लाइसेंस प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बंद नहीं किया जाएगा अथवा उसे सील नहीं किया जाएगा। पुलिस, राजस्व अथवा किसी अन्य विभाग या संस्था द्वारा किसी भी आबकारी

Scanned with CamScanner

अनुज्ञापन का निरीक्षण बिना लाइसेंस प्राधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं किया जायेगा। आबकारी विभाग के अधिकारियों को छोड़ कर लाइसेंसिंग प्राधिकारी की पूर्वानुमति के पश्चात अन्य प्राधिकारियों द्वारा किए गए प्रत्येक निरीक्षण की अनिवार्यतः वीडियोग्राफी करायी जायेगी।

12.8 प्रदेश में संचालित थोक मदिरा अनुज्ञापनों एफ०एल०–2/सी०एल०–2 में पाई गई गंभीर अनियमितताओं, गोदाम में मदिरा स्टॉक छीजन/मदिरा स्टॉक में कमी आदि के निस्तारण एफ०एल०–2/ सी०एल०–2 के प्रभारी आबकारी अधिकारी/आबकारी निरीक्षक, द्वारा मदिरा के विनष्टीकरण/निस्तारण की कार्यवाही निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रियानुसार कर सकेंगे।

छीजन/विनष्ट हुई मदिरा पर नियमानुसार महिला सशक्तिकरण, खेलकूद तथा गौ संरक्षण सेस, वाणिज्य कर, सेस 2 प्रतिशत उपकर को एफ०एल०–2/सी०एल०–2 अनुज्ञापी द्वारा जमा कराया जाएगा जिसकी कृत कार्यवाही की आख्या सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को प्रेषित की जायेगी तथा जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रति उल्लंघन एक लाख अर्थदण्ड आरोपित किए जाने के उपरांत प्रकरण प्रशमित कर निस्तारित किया जायेगा।

12.9 प्रदेश में स्थित आसवनियों वविदेशी मदिरा की भराई हेतु प्रदत्त अनुज्ञापन एफएलएम–3 (बॉटलिंग प्लाण्ट) अनुज्ञापन के अंतर्गत देशी मदिरा का उत्पादन नियमावली के नियम 5.8 के अनुसार केवल उत्तराखण्ड राज्य से अन्य राज्यों के निर्यात हेतु आबकारी आयुक्त की अनुमति से किया जा सकेगा। बॉटलिंग प्लांट द्वारा उत्पादित देशी मदिरा की आपूर्ति उत्तराखण्ड राज्य में अनुमन्य नहीं होगी, निर्यात हेतु समस्त शर्ते यथावत रहेंगी।इसके अतिरिक्त पेट बोतलों एवं अन्य मैटेरियल में आसवनियाँ निर्यात के लिए देशी मदिरा की भराई कर सकेंगे।

13. **बार अनुज्ञापनों की लाईसेंस फीस का निर्धारणः**–

निम्न प्रावधान वित्तीय वर्ष 2025–26, 2026–27व 2027–28के लिए लागू होंगे।

13.1

I. जिलाधिकारी द्वारा बार अनुज्ञापनों का नवीनीकरण किया जा सकेगा, एफ0एल0 – 6(C) हेतु रुपये 50,000 (रुपये पचास हजार)/रेस्टोरेंट बार हेतु रुपये 25,000 (रुपये पच्चीस हजार) तथा अन्य बार लाइसेंस हेतु रुपये 5000 (रुपये पॉच हजार) नवीनीकरण शुल्क देय होगा जो लाइसेंस फीस के अतिरिक्त होगा।

II. बार अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस –

क्र०सं०	अनुज्ञापन का प्रकार	कमरों की संख्या / सितारा कैटेगरी	अनुज्ञापन शुल्क
1.	एफ० एल०-6(सी०)	25 कमरों तक	रुपये 3 लाख
2.		25 से 50 कमरों तक	रुपये 5 लाख

Bjoshi

Scanned with CamScanner

3.		51 तथा अधिक कमरों हेतु	रुपये 8 लाख
4.	एफ० एल०-6(सी०) सितारा कैटेगरी युक्तअथवा समकक्ष रिसॉर्ट/होटल	तीन सितारा	रुपये 08 लाख
5.		चार सितारा	रुपये 10 लाख
6.		पाँच सितारा जनपद देहरादून का शहरी क्षेत्र, ऋषिकेश के आस पास एवं जनपद टिहरी का आबकारी क्षेत्र नरेंद्रनगर तहसील	रुपये 20 लाख
7.	एफ० एल०-6(सी०) पाँच सितारा कैटेगरी युक्तअथवा समकक्ष	अन्य क्षेत्रों में	रुपये 10 लाख
8.	एफ० एल०-7 (रेस्टोरेंट बार)	-	रुपये 4 लाख
9.	एफ० एल०-7 (बी०) (बीयर बार)	-	रुपये 2 लाख
10.	एफ० एल०-7 (सी०) (क्लब बार)	100 सदस्यों तक	रुपये 1 लाख
11.		101-500 सदस्यों तक	रुपये 2 लाख
12.		500 से अधिक सदस्यों हेतु	रुपये 3 लाख
13.		राजकीय कार्मिकों हेतु	रुपये 35 हजार
14.		प्रेस क्लब हेतु	रुपये 25 हजार

a) गढवाल मण्डल विकास निगम एवं कुमांऊ मण्डल विकास निगम या कोई अन्य सरकारी संस्था/सरकारी कॅम्पनी के द्वारा एफ0एल0–06 (समिश्र) बार अनुज्ञापन संचालन हेतु (Out Source करने पर भी) अनुज्ञापन शुल्क में निर्धारित दरों में 50% की छूट अनुमन्य रहेगी।

Bakshi

Scanned with CamScanner

b) किसी होटल के समीप फ्लाइओवर, अपरिहार्य परिस्थियों में पहुँच मार्ग परिवर्तन या अन्य परिस्थितियोंवश बार संचालन बाधित होने की दशा में आबकारी आयुक्त द्वारा अनुज्ञापन शुल्क में छूट हेतु गुण–दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।

III. इसके अतिरिक्त एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन बार लाइसेंस एवं विशेष रेल गाड़ियों एवं क्रूज के लिए बार लाइसेंस की व्यवस्था आवश्यकतानुसार आबकारी आयुक्त कर सकेंगे। जिसके लिए अनुज्ञापन शुल्क 05.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष या वर्ष के भाग के लिए होगा।

IV. प्रत्येक बार अनुज्ञापन परिसर में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी सेवन के विरुद्ध स्टील प्लेटेड चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

V. माइक्रोब्रिवरी से 05 लीटर तक के ग्राउलर/केग में बीयर की बिक्री अनुमन्य की जाती है। माइक्रोब्रिवरी में स्थापित टैंकों में संचित ड्युटी पेड बीयर की शेल्फ लाइफ अधिकतम 03 दिन होगी।

VI. माइक्रोब्रिवरी के अनुज्ञापन आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे, शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

VII. पाश्चुराइज़्ड/ड्राउट बीयर के केगों की अनुमति बारों के लिए दी जा सकेगी।

VIII. प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र जिनमें मुख्यतः जिम कार्बेट क्षेत्र (रामनगर एवं निकटवर्ती क्षेत्र), जनपद टिहरी गढ़वाल का शिवपुरी क्षेत्र, जनपद पौड़ी गढ़वाल का मोहन चट्टी, रत्तापानी तथा जनपद अल्मोड़ा के बिनसर आदि सम्मिलित है, में संचालित बार अनुज्ञापियों के अतिरिक्त रिसॉर्ट में मदिरा परोसने/आयोजनों के लिए आबकारी विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा जिसकी वार्षिक फीस रुपये दस हजार 10,000 होगी शेष शर्तें एवं शुल्क नियम 13.5 के तहत लागू होगा। उक्त के अतिरिक्त रिज़ॉर्ट/होटल उल्लिखित उपबंध का पालन नहीं करते है तो उन्हे इस आशय का शपथ पत्र क्षेत्रीय आबकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा कि उनके परिसर में किसी भी प्रकार की मदिरा का उपभोग नहीं किया जा रहा है।

13.2 होटल बार अनुज्ञापनों को कमरों में मिनी बार की सुविधा अनुज्ञापी के आवेदन करने पर दी जायेगी तथा रू0 10,000/– (रू0 दस हजार मात्र) अनुज्ञापन शुल्क लिया जायेगा। बार अनुज्ञापन प्राप्त इकाई को अपने परिसर के ही भीतर अन्य किसी भाग जैसे टेरेस/लॉन आदि में बार काउंटर की स्थापना हेतु आवेदन किए जाने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वाराप्रकरण का परीक्षण करते हुए इसकी स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। इस हेतु बार अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस का 15% या रुपये 1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) जो अधिक होगा शुल्क लिया जाएगा।

13.3 प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत, रोजगार सृजन के उद्देश्य से एवं राजस्वहित में प्रदेश में स्थित माल्स, जिसका भू–क्षेत्रफल न्यूनतम 8000 वर्ग मीटर हो को माल्स में एक मास्टर बार का अनुज्ञापन दिया जा सकेगा, जिसके अंतर्गत उक्त मास्टर बार के अनुज्ञापी को यह सुविधा अनुमन्य होगी कि मॉल के किसी भी भू–भाग में अलग–अलग स्थान पर आवश्यकता एवं सुविधानुसार एक से अधिक बार अनुज्ञापन/ एफ०एल०–6 ,एफ०एल०–7, एफ०एल०–5एम अनुज्ञापन संचालित कर सकेगा, जिसका अनुज्ञापन शुल्क कुल 20,00000 रुपये तथा प्रतिभूति के रूप में 5,00,000 रुपये एन०एस०सी०/ एफ०डी०आर० जमा करनी होगी जो कि जिला आबकारी अधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होगी।

प्रत्येक उप बार/ एफ०एल०–6 ,एफ०एल०–7,एफ०एल० –5एम खोले जाने के समय सूचना मास्टर बार अनुज्ञापी को संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में देनी होगी तथा मदिरा

Scanned with CamScanner

के स्टॉक एवं बिक्री से संबंधित सभी अभिलेखों को अनुरक्षित करने का उत्तरदायित्व भी उक्त मास्टर बार के अनुज्ञापी का होगा।

उपरोक्त मास्टर बार का नवीनीकरण शुल्क प्रतिवर्ष 10,00,000 रुपये होगा एवं इसके संचालन हेतु अन्य आवश्यक निर्देश राजस्व हित में समय – समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए जाएंगे।

13.4 ओकेजनल बार परमिटः–

(a) ओकेजनल बार परमिट हेतु रजिस्ट्रेशन/शुल्क निम्नवत होगा –

स्थान	रजिस्ट्रेशन शुल्क (वार्षिक)	प्रति समारोह शुल्क (प्रतिदिन)
1. क्लब (वाणिज्यक प्रयोजन हेतु)	रू0 10 हजार मात्र	रू0 05 हजार मात्र
2. होटल/ रिसॉर्ट / रेस्टोरेन्ट एवं विशेष प्रयोजन हेतु उक्त के अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों में	रू0 10 हजार मात्र	रू0 05 हजार मात्र
3. निजी स्थान पर व्यक्तिगत समारोह हेतु	–	रू0 01 हजार मात्र

(b) उपरांकित में यदि आबकारी विभाग की अनुमति के बगैर मदिरा परोसने का मामला संज्ञान में आता है तो संबंधित संपत्ति के मालिक/लीजधारक/किरायेदार के विरुद्ध उल्लंघन के लिए प्रकरण दर्ज किया जाएगा तथा जिला आबकारी अधिकारी के स्तर पर प्रशमित किया जा सकेगा तथा प्रशमन शुल्क रुपये 1,00,000 (एक लाख रुपये) प्रत्येक उल्लंघन पर देय होगा।

13.5 निजी स्थान पर व्यक्तिगत समारोह हेतु प्रयोजन को छोड़कर अन्य ओकेजनल बार परमिट हेतु समारोह में मदिरा परोसने हेतु सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रतिवर्ष रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस रू0 10000/– (दस हजार) वर्ष या वर्ष के भाग के लिए देय होगी। ओकेजनल बार अनुज्ञापी वांछित मदिरा निर्दिष्ट दुकान से प्राप्त करेगा जिसका परिवहन पास आबकारी निरीक्षक द्वारा जारी किंया जाएगा।

13.6 निजी स्थान पर व्यक्तिगत समारोह हेतु सम्बन्धित आवेदक संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ऑनलाईन एफ०एल०–11 अनुज्ञापन प्राप्त कर सकेगा। ऑनलाइन व्यवस्था के तहत रजिस्ट्रेशन एवं अनुज्ञापन शुल्क जमा ना हो पाने की दशा में संबंधित जिला आबकारी अधिकारी ऑफलाइन अनुज्ञापन निर्गत करेंगे जिस हेतु अनुज्ञापन शुल्क के रूप में बैंक डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार किया जाएगा।

13.7 यदि कोई एफ0एल0–11 परमिट धारक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरूद्ध आबकारी अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत अधिकतम रुपये 01 लाख अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा तथा भविष्य में उसे एफ0एल0–11 परमिट जारी नहीं किया जायेगा।

13.8 बार से बिक्री की जाने वाली मदिरा के पैग की धारिता 30 एम0एल0 व 60 एम0एल0 निर्धारित की जाती है।

Bjoshi

Scanned with CamScanner

13.9 एक दिवसीय बार अनुज्ञापी आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित निकटवर्ती मदिरा दुकान से मदिरा का उठान करेगा, जिसका परिवहन पास क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक द्वारा जारी किया जाएगा निकटवर्ती मदिरा दुकान पर वांछित मदिरा उपलब्ध न होने पर जिला आबकारी अधिकारी अन्य दुकान मदिरा उठान हेतु आवंटित कर सकेंगे।

14 बार एवं क्लब बार लाईसेन्स के अन्तर्गत निकासीः—

निम्न प्रावधान वित्तीय वर्ष 2025—26, 2026—27 व 2027—28 के लिए लागू होंगे।

14.1 समस्त बार अनुज्ञापनों द्वारा विदेशी मदिरा, वाईन,आर0टी0डी/एल0ए0बी0 एवं बीयर की प्राप्ति हेतु जिला आबकारी अधिकारी द्वारा परमिट जारी किया जायेगा, जिसके सापेक्ष दुकान से बार हेतु एफ0एल0—36 पास आबकारी निरीक्षक द्वारा जारी किया जाएगा।

जनपद की किसी भी विदेशी मदिरा दुकानों पर वांछित मदिरा उपलब्ध न होने की आख्या जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त होने के उपरांत वांछित मदिरा राज्य की किसी भी विदेशी मदिरा दुकान से आबकारी आयुक्त की अनुमति से क्रय की जा सकती है।

14.2 बार में वाईन ग्लास में परोसी जा सकती है। लेकिन यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि ग्लास में परोसी जाने वाली वाईन को फ्रिज में रखा गया हो तथा उसका उपभोग एक दिवस में कर लिया जाये। यदि किसी कारणवश एक दिवस में उपभोग सम्भव न हो तो अवशेष वाईन को प्रयोग में नहीं लाया जायेगा तथा नष्ट कर दिया जायेगा।

परंतुक उल्लंघन पाए जाने पर नियम 12.6 के अनुरूप ही प्रशमन शुल्क आरोपित किया जाएगा।

15. होटलों, रेस्त्रां बार एवं माइक्रो बूवरी के अनुज्ञापन की अर्हता एवं स्वीकृति की प्रक्रियाः—

निम्न प्रावधान वित्तीय वर्ष 2025—26, 2026—27व 2027—28 के लिए लागू होंगे।

15.1 बार/माइक्रो बूवरी अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु आवेदक को तत्सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों तथा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप, शर्तें पूर्ण करनी होगी।

15.2 एफ0एल0—6(समिश्र)/7/7ए/7बी/7सी/माइक्रो ब्रूवरी के बार आवेदन हेतु आवेदक को रू0 50 हज़ार बैंक ड्राफ्ट के रूप मे आवेदन शुल्क जो जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत हो जमा करना होगा तथा बार अनुज्ञापन जारी होने पर रू0 50 हज़ार का बैंक ड्राफ्ट आवेदन प्रकिया शुल्क के रुप में समायोजित कर लिया जायेगा, जो लाईसेंस फीस के अतिरिक्त होगा।

15.3 एफ0एल0—6(समिश्र)/7/7ए/7बी/7सी/माइक्रो ब्रूवरी के नवीन अनुज्ञापन स्वीकृति हेतु संबंधित इकाई/फर्म/व्यक्ति सर्वप्रथम सम्बन्धित जनपद के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करेगा।

a) सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी प्रकरण क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को ऑनलाइन संदर्भित करेगा।

b) आवेदक द्वारा समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करने की दशा में क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक 7 दिवस के

Bodhi

Scanned with CamScanner

भीतर मानक अनुसार जाँच कर अपनी संस्तुति सहित आख्या सम्बन्धित जनपद के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से आबकारी आयुक्त को ऑनलाइन प्रेषित करेंगे।

c) प्रेषित आख्या के आधार पर तीन कार्य दिवस में आबकारी आयुक्त ऑनलाईन अनुज्ञापन जारी करेंगे।

d) इसके अतिरिक्त अनुज्ञापन की शर्ते पूर्व की भांति यथावत् रहेंगी।

e) बार अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु लाईसेंस की शर्तो के अधीन समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण के उपरान्त सम्बन्धित क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक की संस्तुति के आधार पर निर्धारित नवीनीकरण शुल्क जमा होने की दशा में आवेदन के तीन कार्य दिवस के भीतर अनुज्ञापन स्वतः ऑनलाईन के माध्यम से नवीनीकृत हो जायेगा।

16. <u>सीजनल बार/बीयर एवं वाईन बार लाईसेंस (सीजन से तात्पर्य प्रति त्रैमास से है जो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होगा)</u> :–

निम्न प्रावधान वित्तीय वर्ष 2025–26, 2026–27व 2027–28 के लिए लागू होंगे।

16.1 सीजनल पर्यटक स्थलों के लिये तीन माह की अवधि के लिये लाईसेन्स प्रचलित नियमों एवं शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

16.2 सीजनल बार हेतु मुख्यतः बार की स्थिति, शान्ति व्यवस्था, होटल/रेस्टोरेन्ट की पात्रता/भोजन का स्तर, पार्किंग की व्यवस्था, के साथ होटल में 10 कक्ष तक होटल/रिज़ॉर्ट के लिए 50 हजार रुपये प्रति सीजन तथा 11 कक्ष से 25 कक्ष तक होटल/रिज़ॉर्ट के लिए 75 हजार रुपये प्रति सीजन तथा 26 कक्ष से अधिक तक होटल/रिज़ॉर्ट के लिए 1 लाख रुपये प्रति सीजन अनुज्ञापन शुल्क लिया जाएगा। जिला आबकारी अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पुरूषों व महिलाओं हेतु अलग–अलग टॉयलेट की व्यवस्था हों।

16.3 उक्त सीजनल बारों को मदिरा की आपूर्ति की व्यवस्था नियमित बार/क्लब बार के अनुसार ही होगी।

16.4 उक्त उल्लिखित रेस्टोरेन्ट बारमें मदिरा व बीयॅर/वाईन/एल०ए०बी०परोसी जा सकेगी।

17. **मद्यनिषेध के सम्बन्ध में:–**

निम्न प्रावधान वित्तीय वर्ष 2025–26, 2026–27व 2027–28 के लिए लागू होंगे।

a) प्रदेश में प्रतिबन्धित व मद्यनिषेध क्षेत्र के रूप में अधिसूचित स्थलों में कोई बार अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

b) जनपद हरिद्वार के हरिद्वार शहर, जनपद देहरादून के ऋषिकेश शहर यथा नटराज चौक एवं समीपवर्ती क्षेत्र, एम्स निकटवर्ती क्षेत्र, आईडीपीएल क्षेत्र, श्यामपुर क्षेत्र में पूर्व में स्वीकृत एफ०एल०–5डी०एस०/एम० को वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु नवीनीकृत नहीं किया जाएगा।

18 <u>सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिक्री पर एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन शुल्क , एक्साइज ड्यूटी तथा असेस्मेंट फीस की दरें</u>:–

निम्न प्रावधान वित्तीय वर्ष 2025–26, 2026–27 व 2027–28 के लिए लागू होंगे।

Bjoshi

Scanned with CamScanner

18.1 एफ०एल०–2ए अनुज्ञापन (थोक बिक्री) के लिए रू० 25000/–अनुज्ञापन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

18.2 एक्साइज ड्यूटी की दर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–

18.2 (a) भारत निर्मित विदेशी मदिरा (रम छोड़कर) पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) की दर निम्नानुसार ई0डी0पी0 मूल्य (प्रति बोतल) वार निर्धारित की जायेगी:–

क्र० सं०	एक्स आसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	उत्पाद शुल्क प्रति ए0एल0 (रू0 में)		
		2025–26	2026–27	2027–28
1	रू0 50.00 तक	363	377	392
2	रू0 50.01 से रू0 75.00 तक	400	416	432
3	रू0 75.01 से रू0 110.00 तक	465	483	502
4	रू0 110.01 से रू0 125.00 तक	505	525	546
5	रू0 125.01 से रू0 150.00 तक	551	573	595
6	रू0 150.01 से रू0 300.00 तक	561	583	606
7	रू0 300.01 से रू0 500.00 तक	612	636	661
8	रू0 500.01 से रू0 900.00 तक	638	663	689
9	रू0 900.01 से अधिक	648	673	700

18.2 (b) रियायती रम पर उत्पाद शुल्क रू0 83.00 प्रति ए0एल0 देय होगा।

18.2 (c) एफ0एल0–9 अनुज्ञापन के अन्तर्गत बीयर/ब्रीजर (आर0टी0डी0) एवं वाईन की बिक्री पर उत्पाद शुल्क की धनराशि एफ0एल0–5डी के समान देय होगी।

18.2 (d) एफ0एल0–2ए स्तर पर मदिरा पर उत्तराखण्ड राज्य के होलोग्राम लगाया जाना अनिवार्य होगा।

Brahi

Scanned with CamScanner

18.3 असेस्मेंट फीस की दरें प्रति बोतल निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

क्र० सं०	मदिरा का प्रकार	असेस्मेंट फीस वर्ष 2025–26, 2026–27 व 2027–28
(1)	विदेशी मदिरा (रम, बियर को छोड़कर) ई0डी0पी0 रू0 100 तक ई0डी0पी0 रू0 100 से अधिक	 रू0 120.00(**प्रति बोतल**) रू0 175.00(**प्रति बोतल**)
(2)	रम	रू0 70.00(**प्रति बोतल**)
(3)	बियर / वाईन / ब्रीजर (आर0टी0डी0)	एफ0एल0–5डी के समान दर।
(4)	भूतपूर्व सैनिकों / भूतपूर्व अर्द्धसैनिकों हेतु असेस्मेंट फीस दरें निम्न प्रकार होंगी:– (क) विदेशी मदिरा (रम, बियर को छोड़कर) :– (1)ई0डी0पी0 रू० 100 तक (2)ई0डी0पी0 रू० 100 से अधिक (ख) रम (ग) बियर (घ) वाईन (च) ब्रीजर / आर.टी.डी पर	 रू0 100.00(**प्रति बोतल**) रू0 155.00(**प्रति बोतल**) रू0 55.00(**प्रति बोतल**) रू0 46 / –प्रति बी.एल. रू0 39 / – प्रति बी.एल. रू0 53 / – प्रति बी.एल.

18.4 राज्य में स्थित समस्त अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत / भूतपूर्व अर्द्धसैनिकों को एफ0एल0–9 / 9ए अनुज्ञापन की सुविधा अनुमन्य होगी।

18.5 एफ0एल0–9 / 9ए का अनुज्ञापन शुल्क रू0 500 / –प्रति अनुज्ञापन निर्धारित की जाती है।

18.6 ड्राउट बियर की अनुमति सैन्य केन्टीनों में पूर्ववत दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त सी0एस0डी0 के माध्यम से सैन्य कैन्टीनों द्वारा 500 एम0एल0, 330 एमएल तथा 275 एमएल धारिता में केन बियर / ब्रीजर / एल0ए0बी0 की बिक्री की जा सकेगी।

19–समुद्र पार से आयातित विदेशी मदिरा के उत्पादों की थोक बिक्री :–

19.1 भारत के बाहर के विदेशी मदिरा निर्माता अथवा उनके अधिकृत विक्रेता या ऐसी इकाई जिसको सम्बन्धित ब्रान्ड के भारत में विक्रय करने के विधिक अधिकार (Legal Rights) प्राप्त है, उत्तराखण्ड राज्यमें विदेशी मदिरा / बीयर / वाईन / स्कॉच / आर.टी.डी. इत्यादि के ब्राण्ड्स FL–2(O) के माध्यम से उत्तराखण्ड में बिक्री कर सकेंगे।
जिस हेतु निम्न व्यवस्था रहेगी–

a) राजस्व की सुरक्षा के दृष्टिगत खुदरा मदिरा दुकान अनुज्ञापनों को समुद्र पार आयातित विदेश में

Scanned with CamScanner

निर्मित मदिरा/बीयर/वाइन/ आर०टी०डी० की आपूर्ति के लिए आबकारी थोक अनुज्ञापन FL–2(0) दिया जा सकेगा।

b) उत्तराखंड राज्य में ऐसी संस्था/ईकाई को FL–2(0) दिए जाने की व्यवस्था रहेगी, जिनके पास उत्तराखण्ड राज्य में (प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु) विगत वर्ष में FL–2(0) अनुज्ञापन के स्वरूप में समुद्र पार आयातित विदेश में निर्मित मदिरा/बीयर/वाइन/आर०टी०डी० का व्यापार किए जाने का अनुभव हों।

c) वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु ऐसी संस्था/ईकाई का FL–2(0) अनुज्ञापन नवीनीकरण किये जाने पर आबकारी आयुक्त द्वारा विचार किया जायेगा, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में (दिनांक 31, दिसंबर, 2025 तक) उत्तराखण्ड राज्य में न्यूनतम ढाई लाख बल्क लीटर समुद्र पार आयातित मदिरा/बीयर/वाइन/आर०टी०डी० की बिक्री की गयी हो तथा FL–2(0) अनुज्ञापन का नवीनीकरण शुल्क रूपये 2.50 लाख निर्धारित किया जाता है।

d) आवेदन करने वाली ईकाई को आवेदन करने से पहले कम से कम 5 समुद्र पार आयातित मदिरा/बीयर आपूर्तक ईकाईयों का अधिकृत पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

e) उत्तराखंड राज्य में आपूर्तक ईकाईयों को FL–2(0) अनुज्ञापन दिया जाएगा, दोनो मण्डलों (गढ़वाल मण्डल व कुमायूँ मण्डल) में दो पृथक–पृथक FL –2(0)अनुज्ञापन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, जिसका अनुज्ञापन शुल्क प्रथम FL –2(0) अनुज्ञापन हेतु 20 लाख रुपये (प्रत्येक मण्डल हेतु), द्वितीय FL–2(0) अनुज्ञापन हेतु 05 लाख रूपये (प्रत्येक मण्डल में द्वितीय FL–2(0) अनुज्ञापन हेतु) एवं उसके पश्चात् यदि किसी अन्य जनपद में FL–2(0) अनुज्ञापन प्राप्त किया जाता है, तो उस हेतु प्रत्येक जनपद हेतु FL –2(0)अनुज्ञापन हेतु 02 लाख रूपये अनुज्ञापन शुल्क तथा प्रतिभूति की राशि 10 लाख रुपये (जो समस्त FL–2(0) अनुज्ञापन हेतु केवल एक बार देय होगी) एवं मदिरा के असीमित ब्रांडों के लिए पंजीकरण शुल्क के रूपमें रुपये 15 लाख देय होगा।

f) उत्तराखंड राज्य के खुदरा विदेशी मदिरा दुकानों को समुद्र पार आयातित मदिरा/बीयर/ वाइन/आर०टी०डी० की आपूर्ति केवल उत्तराखण्ड राज्य में संचालित FL 2(0) से की जाएगी।

g) FL–2(0) अनुज्ञापन के अनुज्ञापी को खुदरा दुकानों को समुद्र पार आयातित मदिरा/ बीयर/वाइन/आर०टी०डी० की आपूर्ति हेतु समस्त ब्रांड उत्तराखण्ड आबकारी पोर्टल पर पंजीकृत कराने होंगे तथा मदिरा की आपूर्ति हेतु निर्गम आदेश तथा परिवहन पास आबकारी पोर्टल से ऑनलाइन ही जारी किया जा सकेगा, यदि ऑनलाईन व्यवस्था में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आबकारी आयुक्त द्वारा ऑफलाईन के माध्यम से प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

h) ब्रांड आपूर्तक ईकाई को वर्ष 2025–26 के लिए निकटवर्ती राज्य उत्तर प्रदेश या हिमांचल प्रदेश में से किसी एक राज्य की वर्ष 2024–25 हेतु न्यूनतम ईडीपी के समतुल्य अथवा कम घोषित करने का शपथ पत्र लेबल पंजीकरण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। FL–2(0) अनुज्ञापी के शपथ पत्र में उल्लिखित ई०डी०पी० को ही इकाई के ब्राण्ड की ई०डी०पी० माना जायेगा। प्रदेश में विभिन्न समुद्रपार आयातित मदिरा के ब्राण्डों की उपलब्धता की दृष्टि से FL–2(0) अनुज्ञापी को अन्य राज्य में स्थित कस्टम बाण्ड से समुद्रपार आयातित मदिरा आयात किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदान की जा सकेगी कि FL–2(0) अनुज्ञापी द्वारा प्रस्तुत ई0डी0पी0 को ही FL–2(0) अनुज्ञापी के कस्टम बाण्ड से आयातित ब्राण्ड की ई0डी0पी0 समझा जायेगा जिसमें पुनः वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

Scanned with CamScanner

i) समुद्र पार आयातित मदिरा/बीयर/वाइन/आर०टी०डी० के विभिन्न ब्रांडों पर FL–2(0) द्वारा सुरक्षा होलोग्राम तथा प्रत्येक मदिरा बोतल में "केवल उत्तराखण्ड में बिक्री हेतु" का स्टिकर चस्पा करना अनिवार्य होगा।

j) FL–2(0) अनुज्ञप्ति धारक समुद्र पार आयातित मदिरा/बीयर/वाइन/आर०टी०डी०के परिवहन/आयात हेतु संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी से परिवहन पास निर्गत कराकर मदिरा आयात की जा सकेगी।

k) FL–2(0) अनुज्ञापन पर किसी भी प्रकार की गंभीर अनियमितताओं गोदाम छीजन/स्टॉक में कमी आदि व अनुज्ञापन शर्तों का उल्लंघन प्रकाश में आने पर आबकारी नियमों के प्रविधानानुसार (समस्त शुल्क जमा कराये जाने के उपरान्त) निम्नानुसार अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा–

I. प्रथम उल्लंघन पर रुपये 1 लाख का अर्थदण्ड/प्रशमन शुल्क।

II. द्वितीय उल्लंघन पर रुपये 2.5 लाख का अर्थदण्ड/प्रशमन शुल्क।

III. तृतीय अथवा अधिक उल्लंघन पर रुपये 5 लाख का अर्थदण्ड/प्रशमन शुल्क।

l) राजस्व की सुरक्षा के दृष्टिगत FL–2(0) अनुज्ञापन के अन्तर्गत समुद्र पार आयातित विदेश में निर्मित मदिरा/बीयर/वाइन/आर०टी०डी० की आपूर्ति में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है या व्यवहारिक कठिनाई आती है, तो उक्त के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिये जा सकेगे।

m) समुद्रपार आयातित मदिरा की मूल्य निम्नवत् निर्धारित किया जायेगाः–

1	मदिरा श्रेणी
2	धारिता
3	कस्टम बॉण्ड मूल्य
4	आयात शुल्क
5	योग (3+4)
6	वाणिज्य कर 12 प्रतिशत (कॉलम संख्या 05 के योग पर)
7	योग (5+6)
8	सेस 2 प्रतिशत उपकर (उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम–2015 की धारा–03 की उपधारा 1, खण्ड 'ख' के कम में लागू) (कॉलम संख्या 07 का)
9	महिला सशक्तिकरण, खेलकूद को बढावा देने तथा गौ संरक्षण के लिये प्रत्येक देशी मदिर की प्रत्येक बोतल पर रू0 01, रू0 01, रू0 01 (अर्थात प्रत्येक बोतल पर रू0 03) का उपकर (सैस) देय होगा।
10	परमिट फीस रू0 120 प्रति पेटी (12 के पैक में)
11	होलोग्राम शुल्क
12	प्रतिफल
13	एफ0एल0–2 ओ0 व्यय जो कि रू0 50 प्रति बोतल की दर से देय होगा
14	फुटकर मदिरा दुकानों को बिलिंग दर (कॉलम संख्या 7 से 13 तक का योग)
15	एम0एम0जी0डी0
16	फुटकर मदिरा दुकानों की लागत मूल्य कॉलम संख्या 14 + 15

Bohri

Scanned with CamScanner

17	फुटकर मदिरा दुकानों की लागत मूल्य कॉलम संख्या (14+15)/12
18	फुटकर मदिरा दुकानों का लाभांश कॉलम संख्या 17 का 20%
19	एम.एस.पी. (कॉलम संख्या 17 का 8% लाभांश के साथ)
20	एम.आर.पी./अधिकतम खुदरा मूल्य –बोतल मेंरू० 10 के गुणांक में,अद्धा व पव्वा में 5 रुपये गुणांक में तथा बीयॅर/वाईन/आर0टी0डी0 के मामले में रू० 5 के गुणांक में निर्धारित किया जायेगा तथा अन्तर की धनराशि प्रतिफल (अतिरिक्त राजस्व) के रूप में राजकोष में जमा करायी जायेगी।उक्त अतिरिक्त प्राप्त राजस्व जनपद के राजस्वलक्ष्य का भाग माना जाएगा।

n) उपरोक्तानुसार एम.एस.पी./एम.आर.पी. निर्धारण के पश्चात FL–2(0) स्तर पर एम.एस.पी./एम.आर.पी. स्टिकर लगाने के पश्चात बिक्री की जा सकेगी।

20. विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन के थोक (एफ०एल०–2 अनुज्ञापन):–

निम्न प्रावधान वित्तीय वर्ष 2025–26, 2026–27व 2027–28 के लिए लागू होंगे।

उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी/मूल निवासियों को रोजगार सृजन के अवसर देने हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में एफ०एल०–2 अनुज्ञापन केवल उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी/मूल निवासियों को प्रदान किये जायेंगे। एफ०एल०–2 अनुज्ञापनों से विदेशी मदिरा/बियर/ वाईन/आरटीडी आदि की आपूर्ति विदेशी मदिरा दुकानों को की जाएगी।

नोटः– इच्छुक आवेदक को निर्माता एवं आपूर्तक ईकाईयों से किसी अधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश में कार्यरत निर्माता इकाई एवं बॉण्डधारक थोक अनुज्ञापी जनपद में कार्यरत एफ०एल०–2 अनुज्ञापन को मदिरा की आपूर्ति करेंगे अर्थात प्रत्येक एफ०एल०–2 अनुज्ञापन धारक निर्माता/थोक आपूर्तक बॉण्ड अनुज्ञापी से मदिरा/बीयर/वाइन/ आर०टी०डी० आदि की खरीद कर सकेगा।

अनुज्ञापन प्रत्येक जनपद हेतु पृथक–पृथक देय होगा तथा प्रत्येक एफ०एल०–2 अनुज्ञापन की प्रतिभूति के रूप म ेंएक लाख रूपये की एफ०डी०आर० (उत्तराखण्ड राज्य में स्थित आर०बी०आई० द्वारा मान्यता प्राप्त बैंकों द्वारा जारी) जमा करनी होगी, जो कि आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड के नाम प्रतिश्रुत होगी।

20.1 उत्तराखण्ड राज्य का कोई भी पात्र स्थायी/मूल निवासी थोक मदिरा अनुज्ञापन (एफ०एल०–2) हेतु आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय में आवेदन करेगा स्क्रूटनी उपरांत आबकारी आयुक्त द्वारा गुणदोष के आधार पर अनुज्ञापन स्वीकृत किया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक से अधिक अनुज्ञापन जारी किए जा सकेंगे, परन्तु एक आवेदक सम्पूर्ण प्रदेश में अधिकतम दो एफ0एल0–2 अनुज्ञापन दो विभिन्न जनपदों में प्राप्त कर सकेगा। इसके लिए निम्नानुसार लाइसेंस फीस जनपदवार, वर्ष या वर्ष के भाग के लिए जमा करने के उपरांत अनुज्ञापन जारी किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष **2025–26, 2026–27 व 2027–28** हेतु एफ०एल०–2 अनुज्ञापन का जनपदवार अनुज्ञापन शुल्क निम्नवत् निर्धारित किया जाता है जो कि बैंक ड्राफ्ट के रूप में आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून के नाम से देय होगाः–

Scanned with CamScanner

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुज्ञापन शुल्क 2025–26	अनुज्ञापन शुल्क 2026–27	अनुज्ञापन शुल्क 2027–28
1	देहरादून	12 लाख	13 लाख	14 लाख
2	हरिद्वार	10 लाख	11 लाख	12 लाख
3	ऊधमसिंहनगर	8 लाख	9 लाख	10 लाख
4	नैनीताल	8 लाख	9 लाख	10 लाख
5	चमोली	4 लाख	4 लाख	4 लाख
6	पौड़ी गढ़वाल	6 लाख	6 लाख	6 लाख
7	टिहरी गढ़वाल	6 लाख	6 लाख	6 लाख
8	अल्मोड़ा	6 लाख	6 लाख	6 लाख
9	उत्तरकाशी	4 लाख	4 लाख	4 लाख
10	रूद्रप्रयाग	4 लाख	4 लाख	4 लाख
11	बागेश्वर	4 लाख	4 लाख	4 लाख
12	चम्पावत	4 लाख	4 लाख	4 लाख
13	पिथौरागढ़	4 लाख	4 लाख	4 लाख

20.2 एफ०एल०–2 अनुज्ञापियों को प्रतिभूति के रूप में कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड में रुपये 01.00 लाख का FDR जमा कराना होगा जो आबकारी आयुक्त के नाम प्रतिश्रुत होगा।

20.3 एफ०एल०– 2 के थोक अनुज्ञापन हेतु आवेदन पत्र के साथ एक शपथ पत्र (आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र का प्रारूप विभाग द्वारा जारी किया जाएगा) के साथ आवेदक अर्हता के दस्तावेज संलग्न किये जाएंगे, जिसे ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदक द्वारा अपलोड कराया जाएगा।

20.4 थोक अनुज्ञापनों के आवेदन हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति समाचार पत्रों एवं आबकारी विभाग के पोर्टल पर प्रकाशित कराई जाएगी तथा मैनुअल आवेदन किए जा सकेंगे। उक्त अनुज्ञापनों से संबंधित अन्य विवरण कार्यालय आबकारी आयुक्त एवं विभागीय पोर्टल से प्राप्त किए जा सकेंगे।

20.5 उत्तराखण्ड राज्य का कोई भी स्थायी/मूल निवासी FL–2 थोक अनुज्ञापन हेतु आवेदन कर सकेगा जिसके लिए प्रति आवेदन 50 हजार रुपये प्रोसेसिंग फीस 0039 शीर्षक के अन्य प्राप्तियों में ऑनलाइन जमा करायें जा सकेंगे या बैंक ड्राफ्ट जो कि आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड के पक्ष मे देय हो जमा करायें जा सकेंगे। यह प्रोसेसिंग फीस नॉन–रिफंडेबल होगी, प्रोसेसिंग फीस एवं समस्त प्रपत्रों को जमा करने के उपरांत ही आवेदन पूर्ण माना जाएगा।

20.6 एफ०एल०–2 अनुज्ञापन की स्वीकृति, अर्हता एवं शर्तों को पूर्ण करने के उपरांत आबकारी आयुक्त द्वारा

Scanned with CamScanner

दी जा सकेगी। उपरोक्त स्वीकृति के पश्चात आवेदक गोदाम का पता एवं जियोलोकेशन का सत्यापन संबंधित आबकारी निरीक्षक द्वारा किया जाएगा तथा मौका मुआयना की रिपोर्ट, चौहद्दी की संस्तुति सहित आख्या एवं अन्य संबंधित दस्तावेज संबंधित आबकारी निरीक्षक द्वारा कार्यालय आबकारी आयुक्त को प्रेषित किए जाएंगे, तदोपरांत आबकारी आयुक्त द्वारा लाइसेंस जारी किया जाएगा।

20.7 एफ०एल०–2 हेतु आवेदन दो लोग संयुक्त रूप से भी कर सकते है। आवेदन के समय आवेदक यह भी स्पष्ट करेगा कि उपरोक्त आवेदन व्यक्तिगत श्रेणी में है अथवा फर्म के रूप में किया जा रहा है।

20.8 वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु एफ०एल०–2 अनुज्ञापन विदेशी मदिरा के निर्माताओं को नही दिए जाएंगे।

20.9 एफ०एल०–2 में बीयर, वाइन, आर०टी०डी० की बिक्री अनुमन्य होगी।

20.10 बॉण्ड अनुज्ञापनों से सीधे जनपद स्तरीय थोक अनुज्ञापनों को निकासी अनुमन्य होगी। एक वाहन के माध्यम से किसी एक जनपद के एक से अधिक थोक अनुज्ञापनों को एक श्रेणी की मदिरा के पारेषण अनुमन्य होंगे।

20.11 एफ०एल०–2 अनुज्ञापन विभिन्न आपूर्तक निर्माता ईकाईयों के संबंधित जनपद में विगत तीन वर्षों में सर्वाधिक बिक्री किए गए मदिरा ब्राण्डस (Highest Selling Brands) की तथा साथ ही फुटकर अनुज्ञापियों की मांग के अनुरूप उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे।

20.12 वित्तीय वर्ष 2026–27 व 2027–28 हेतु राजस्वहित में आवश्यकतानुसार संबंधित वर्ष में नये एफएल–2 अनुज्ञापन जारी किए जा सकेंगे।

21. विदेशी मदिरा/बियर/वाईन/आर०टी०डी० के बॉण्ड अनुज्ञापनः–

निम्न प्रावधान वित्तीय वर्ष 2025–26, 2026–27 व 2027–28 के लिए लागू होंगे।

21.1 बी०डब्ल्यू०एफ०एल०–2/2बी०/2एस०/2डब्ल्यू० अनुज्ञापन विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन/स्कॉच के निर्माता अथवा अधिकृत विक्रेता अथवा ब्रॉण्ड के मालिकाना हक इकाईयों को केवल अपने उत्पाद बेचने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

21.2 निर्माता से आशय निर्माता कम्पनी से होगा। ऐसी भारतीय इकाईयाँ जो आयातित ब्राण्ड्स की स्कॉच व्हीस्की, ब्राण्डी, जिन, बियर, वाईन, वोदका इत्यादि की बॉटलिंग भारत में करती है तथा जिन्हें भारत में उक्त की बिक्री करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है अथवा जिन्हें विदेश में निर्मित/बॉटल्ड विदेशी मदिरा/ बीयर/वाईन/स्कॉच को भारत में विक्रय करने के विधिक अधिकार (Legal Rights) प्राप्त है, इन्हें ऐसे ब्राण्ड्स का निर्माता माना जायेगा। तद्नुसार इन्हें राज्य में बिक्री हेतु थोक अनुज्ञापन (बी०डब्ल्यू०एफ०एल०–2/2बी०/2एस०/2डब्ल्यू०) प्रदान किया जायेगा।

21.3 बॉण्ड अनुज्ञापनों/एफ0एल0–1 अनुज्ञापनों की लाईसेन्स फीस का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा :–

बी०डब्ल्यू०एफ०एल०–2 अनुज्ञापन हेतु अनुज्ञापन शुल्क–न्यूनतम रूपये 08 लाख के अधीन रहते हुए प्रति पेटी रू0 30/– निर्धारित की जाती है।

बी०डब्ल्यू०एफ०एल०–2 बी० अनुज्ञापन हेतुअनुज्ञापन शुल्क–न्यूनतम रूपये 07 लाख के अधीन रहते हुए

Bjoshi

Scanned with CamScanner

प्रति पेटी रू0 20/– निर्धारित की जाती है।

बी०डब्ल्यू०एफ०एल०–2 बी०आई० अनुज्ञापन (केवल नेपाल, भूटान से आयातित बीयर) हेतु अनुज्ञापन शुल्क–न्यूनतम रूपये 1 लाख के अधीन रहते हुए प्रति पेटी रू0 120/– निर्धारित की जाती है।

बी०डब्ल्यू०एफ०एल०–2 एस० (भारत में निर्मित मदिरा–सिंगल माल्ट/स्कॉच/फ्यूजन/व्हिस्की इत्यादि जिसकी ई0डी0पी0 400 से अधिक हो) अनुज्ञापन हेतु अनुज्ञाप शुल्क–न्यूनतम रूपये 01 लाख के अधीन रहते हुए प्रति पेटी रू0 30/– निर्धारित की जाती है।

बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2 डब्ल्यू अनुज्ञापन हेतु अनुज्ञापन शुल्क– न्यूनतम रू0 1.25 लाख निर्धारित किया जाता है।

एफ0एल0–1 अनुज्ञापन हेतु अनुज्ञापन शुल्क– न्यूनतम रू0 5.00 लाख के अधीन रहते हुए प्रति पेटी रू0 15/– निर्धारित की जाती है।

21.4 विधिवत रूप से अधिकृत विक्रेताओं द्वारा अनुज्ञापन से सम्बन्धित कृत समस्त कार्यवाही हेतु सम्बन्धित निर्माता इकाई उत्तरदायी होगी तथा अधिकृत विक्रेता/प्रतिनिधि द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य निर्माता इकाई द्वारा किया गया कार्य माना जायेगा।

21.5 विदेशी मदिरा/बीयॅर/वाईन/स्कॉच के थोक अनुज्ञापन (बॉण्ड अनुज्ञापन) हेतु निर्धारित प्रतिभूति की धनराशि रू० 01 लाख रहेगी।

21.6 विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापी यदि आगामी वित्तीय वर्ष में अपना अनुज्ञापन नवीनीकरण नही कराते है तो उन्हे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चातअपने थोक अनुज्ञापनों पर संचित मदिरा स्टॉक का निस्तारण कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अनुज्ञापन के परिसर में संचित मदिरा को आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से निम्न समिति द्वारा नष्ट करने की कार्यवाही की जायेगी एवं उस पर आने वाले व्यय को सम्बन्धित अनुज्ञापी की प्रतिभूति से वसूल किया जायेगा तथा प्रतिभूति की शेष राशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा। विनष्टिकरण की जाने वाली मदिरा हेतु किसी प्रकार के प्रयोगशाला परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।

1. सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी	अध्यक्ष
2. सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक	सदस्य

21.7 विदेशी मदिरा/बीयॅर/इंपोर्टेड बीयर/वाईन/स्कॉच के थोक अनुज्ञापन (बॉण्ड अनुज्ञापन) हेतु अनुज्ञापन नवीनीकरण शुल्क तथा नए आवेदन पर प्रोसेसिंग शुल्क निम्नवत लिया जाएगा–

क्र० सं०	अनुज्ञापन का प्रकार	नवीनीकरण/प्रोसेसिंग शुल्क
1-	बी०डब्ल्यू०एफ०एल०–2	रुपये 50000
2-	बी०डब्ल्यू०एफ०एल०–2बी	रुपये 25000

Bohri

Scanned with CamScanner

3-	बी०डब्ल्यू०एफ०एल०–2बी (आई)	रुपये 10000
4-	बी०डब्ल्यू०एफ०एल०–2एस	रुपये 15000
5-	बी०डब्ल्यू०एफ०एल०–2 डबल्यू	रुपये 5000

नवीनीकरण/प्रोसेसिंग फीस नॉन रिफंडेबल एवं अनुज्ञापन शुल्क के अतिरिक्त होगी।

21.8 राज्य के बाहर के विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन/आर0टी0डी0 के निर्माताओं को बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2/2बी/2एस/2डब्ल्यू की सामान्य लाईसेंस फीस के अतिरिक्त अपनी एक से अधिक यूनिट्स की मदिरा/बीयर/वाईन इत्यादि आयात किये जाने पर प्रति यूनिट से मदिरा इत्यादि आयात किये जाने हेतु अतिरिक्त लाईसेंस फीस के रूप में बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2/2बी/2डब्ल्यू की न्यूनतम लाईसेंस फीस के 25 प्रतिशत् अतिरिक्त लाईसेंस फीस के रूप में जमा करना होगा। ऐसे निर्माता स्वयं की कई यूनिट्स की मदिरा आयात किये जाने हेतु एक ही बाण्ड अनुज्ञापन रख सकेंगे।

22. राज्य में देशी मदिरा की थोक बिक्री हेतु शुल्क का निर्धारणः–

निम्न प्राविधान वित्तीय वर्ष 2025–26, 2026–27 व 2027–28 के लिए लागू होंगे।

22.1 राज्य में देशी मदिरा की आपूर्ति करने वाली आसवनी को न्यूनतम रू० 10 लाख के अधीन रहते हुए रू० 03 प्रति बल्क लीटर अनुज्ञापन शुल्क देय होगा।आपूर्तक आसवनी को अपने ब्रांडस का पंजीकरण कराना होगा, इस हेतु प्रथम ब्राण्ड का पंजीकरण शुल्क रुपये 05 लाख,द्वितीय ब्राण्ड का पंजीकरण शुल्क रुपये 02 लाख तथा तृतीय ब्राण्ड का पंजीकरण शुल्क रुपये 01 लाख निर्धारित किया जाता हैं।

22.2 उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी/मूल निवासियों को रोजगार सृजन के उद्देश्य से एवं जनपदों में देशी मदिरा के समस्त ब्रांडों की उपलब्धता के दृष्टिगत राज्य में देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी/मूल निवासियों को सी०एल०–2 अनुज्ञापन दिए जा सकेगें। उन्हें सम्बन्धित निर्माता इकाई से सम्बन्धित जनपद हेतु सी०एल०–2 अनुज्ञापन संचालन के लिये अधिकार पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा अधिकृत व्यक्ति को आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत कर सी०एल०–2 अनुज्ञापन पूर्व में इस नियमावली में उल्लिखित एफ०एल०–2 हेतु उपबंध की भाँति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

प्रत्येक जनपद में राज्य की आसवनी का एक थोक अनुज्ञापन(सी०एल०–2) खोला जा सकेगा अर्थात एक आसवनी– एक जनपद –एक आवेदक के सिद्धांत के अनुसार प्रदेश में कोई भी आवेदक मात्र एक सी०एल०–2 अनुज्ञापन प्राप्त कर सकेगा।प्रत्येक सी०एल०–2 अनुज्ञापन के अन्तर्गत राज्य की सम्बन्धित आसवनी द्वारा निर्मित देशी मदिरा की थोक आपूर्ति प्राप्त की जा सकेगी।प्रतिबंध रहेगा कि निर्माता ईकाई जनपद में केवल एक ही व्यक्ति को सी०एल०–2 संचालन हेतु अधिकार पत्र दे सकेगी।

सी०एल०–2 थोक मदिरा अनुज्ञप्तधारी द्वारा की गई अनियमितता के लिए सी०एल०–2 अनुज्ञापी स्वयं जिम्मेदार होंगे। जनपद में सी०एल०–2 अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूति की धनराशि वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2027–28 तक निम्नवत् रहेगीः–

Bjoshi

Scanned with CamScanner

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुज्ञापन शुल्क	प्रतिभूति
1	देहरादून	10 लाख	1.0 लाख FDR
2	हरिद्वार	10 लाख	1.0 लाख FDR
3	ऊधमसिंहनगर	7 लाख	1.0 लाख FDR
4	नैनीताल	7 लाख	1.0 लाख FDR
5	अल्मोड़ा	3 लाख	50 हजार FDR
6	बागेश्वर	3 लाख	50 हजार FDR
7	चम्पावत	3 लाख	50 हजार FDR
8	पिथौरागढ़	3 लाख	50 हजार FDR

नोटः— उपरोक्त अनुज्ञापन शुल्क प्रत्येक जनपद एवं प्रत्येक वर्ष हेतु पृथक–पृथक देय होगा तथा प्रत्येक सी०एल०–2 अनुज्ञापन की प्रतिभूति एफ०डी०आर० (उत्तराखण्ड राज्य में स्थित आर०बी०आई० द्वारा मान्यता प्राप्त बैंकों द्वारा जारी) के रूप में जमा करनी होगी, जो कि आबकारी आयुक्त के नाम प्रतिश्रुत होगी। कोई भी शुल्क जमा करने के उपरांत वापस किए जाने का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा।

22.3 देशी मदिरा का उत्पादन राज्य की आसवनियों द्वारा उत्पादित ई०एन०ए० से किया जायेगा। ई०एन०ए० क्रय कर देशी मदिरा भराई की अनुमति केवल सहकारी संस्था द्वारा संचालित आसवनी को अपरिहार्य स्थिति में दी जायेगी।

22.4 सी०एल०–2 अनुज्ञापन देशी मदिरा के निर्माताओं/निर्माताओं के विधिक उत्तराधिकारी/रक्त सम्बन्धी तथा स्थायी व अस्थायी कर्मचारियों को स्वीकृत नहीं किये जायेंगे। विदेशी मदिरा पर देय एफ०एल०–2 व्यय की भांति देशी मदिरा हेतु सी०एल०–2 व्यय भी देय होगा।

22.5सी०एल०–2 अनुज्ञापन की स्वीकृति, अर्हता एवं शर्तों को पूर्ण करने के उपरांत आबकारी आयुक्त द्वारा दी जा सकेगी। उपरोक्त स्वीकृति के पश्चात आवेदक गोदाम का पता एवं जियोलोकेशन का सत्यापन संबंधित आबकारी निरीक्षक द्वारा किया जाएगा तथा मौका मुआयना की रिपोर्ट, चौहद्दी की संस्तुति सहित आख्या एवं अन्य संबंधित दस्तावेज संबंधित आबकारी निरीक्षक द्वारा कार्यालय आबकारी आयुक्त को प्रेषित किए जाएंगे तदोपरांत आबकारी आयुक्त द्वारा लाइसेंस जारी किया जाएगा।

22.6 वित्तीय वर्ष 2026–27व 2027–28 हेतु राजस्वहित में आवश्यकतानुसार संबंधित वर्ष में नए सी०एल०–2 अनुज्ञापन जारी किए जा सकेंगे।

23. आसवनी, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में:–

आसवनी, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था

Scanned with CamScanner

रखी जाती है:–

23.1 पेय मदिरा बनाने हेतु शीरा आधारित आसवनियों की स्थापना के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ अनुज्ञापन देने पर विचार किया जायेगा कि शीरे की व्यवस्था आवेदक इकाई स्वंय करेगी। ग्रेनबेस्ड आसवनी को पेय मदिरा का निर्माण करने हेतु आसवनी स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें अनुज्ञापन देने पर विचार किया जायेगा।

23.2 बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, माईक्रो पब ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना हेतु सुसंगत आबकारी नीति/नियमावली के अधीन अनुज्ञापन जारी किये जायेंगे।

23.3 आसवनी, ब्रुवरी, विन्टनरी/वाईनरी की स्थापना हेतु अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण निम्नवत् रहेगा–

23.3 (a)पी0डी0–33 (आसवनी की स्थापना) अनुज्ञापन हेतु रू० 05 लाख, बी–20 (ब्रुवरी की स्थापना) अनुज्ञापन हेतु रू० 03 लाख, एफ0एल0एम0–2 (विदेशी मदिरा के बॉटलिंग प्लाण्ट स्थापना हेतु) अनुज्ञापन हेतु रू0 04 लाख एवं वी–1 (विन्टनरी की स्थापना हेतु) अनुज्ञापन हेतु रू0 5 हजार अनुज्ञापन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

23.3 (b) नियम 23.3 (a)के अन्तर्गत उल्लिखित अनुज्ञापनों द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत यदि इकाई की स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा अनुज्ञापन की समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन किया जाता है, तो नियम 23.3 (a) के अन्तर्गत निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क अदा करने पर आबकारी आयुक्त द्वारा समयावधि बढाई जा सकेगी।

23.3 (c)विदेशी मदिरा के बॉटलिंग हेतु प्रदत्त एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत अनुज्ञापी शासनादेश संख्या 640/XXIII/2016/04 (55)/2012 देहरादून दिनांकः 23, नवम्बर, 2016 में दिये नियमों के तहत अन्य आसवनी के ब्रॉण्डस की ही बॉटलिंग कर सकेगा।

23.4 राज्य में स्थित ब्रुवरी/वाईनरी अनुज्ञापनों के साथ स्थापित रिजोर्ट में आने वाले अतिथियों को सम्बन्धित ब्रुवरी/वाईनरी अनुज्ञापन के भ्रमण तथा ब्रुवरी/वाईनरी में निर्मित बीयर/वाईन के Tasting हेतु परिसर में पृथक से उपभोग कक्ष निर्मित कर सम्बन्धित रिर्जोट के स्वामी के अनुरोध पर Tasting की अनुमति दी जा सकेगी।

23.5 नियम 23.3 (C) के अतिरिक्त आसवनी के ब्रांडस जिनका एक्स आसवनी मूल्य 400.00 से अधिक होगा, उन ब्रांडस की भराई, बॉटलिंग के लिए शासनादेश संख्या 640/XXIII/2016/04 (55)/2012 देहरादून दिनांकः 23, नवम्बर, 2016 के प्राविधानों में आबकारी आयुक्त द्वारा छूट दी जा सकेगी।

23.5(a) आसवनी की ईकाईयों में सभी श्रेणियों की उच्च गुणवत्ता वाली स्वादिष्ट स्प्रिट/मदिरा जिनका एक्स आसवनी मूल्य 400.00 से अधिक होगा, का उत्पादन करने की अनुमति मिलेगी परंतु प्रतिबंध यह होगा कि इसके उत्पादन में उत्तराखण्ड राज्य के प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले वानस्पतिक संसाधनों का उपयोग किया जाएगा।

Bjohi

Scanned with CamScanner

23.5(b)आसवनी परिसर में विजिटर सेंटर व सेल की अनुमति हेतु स्थानीय किसानों की उपज पर आधारित भोजन परोसनें की सुविधा उपलब्ध करने पर साइट पर डिस्टिल्ड उत्पाद बेचने के लिए अनुमति दी जा सकेगी, जिसके लिए 01 लाख रुपये प्रतिवर्ष अनुज्ञापन शुल्क देय होगा, प्रतिबंध यह होगा कि वह स्वाद के लिए विभिन्न ब्राण्डों के अधिकतम 30–30 ml सैम्पल का स्वाद ले सकेगा और प्रति आगंतुक को अधिकतम 1500 ml बिक्री कर सकेगा जिसकी अनुमति आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड द्वारा दी जाएगी।

23.5(c)आसवनी को कच्चे माल के रूप में उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित विभिन्न कृषि/बागवानी फसल–उपज यथा:–माल्टा, रामबाँस, एप्रीकॉट, पुलम, लीची, अखरोट, आड़ू, सेब, नाशपाती, कीनू, काफल, तिमूर, काली हल्दी, पीली हल्दी, तेजपत्ता, हरड़, बहड़, दालचीनी, दाड़िम–अनार, कचनार, मुलेठी आदि और चाय–कॉफी के अतिरिक्त बुरांश के फूल, ब्रह्मी आदि वनस्पतियों का उपयोग करना अनिवार्य होगा जिससे स्थानीय किसानों को अपनी उपज की बिक्री से किसानों की आजीविका/आर्थिकी को बढ़ावा मिले।

23.5(d)माल्टा, रामबाँस, एप्रीकॉट, पुलम, लीची, अखरोट, आड़ू, सेब, नाशपाती, कीनू, काफल, तिमूर, काली हल्दी, पीली हल्दी, तेजपत्ता, हरड़, बहड़, दालचीनी, दाड़िम–अनार, कचनार, मुलेठी आदि और चाय–कॉफी के अतिरिक्त बुरांश के फूल, ब्रह्मी आदि वनस्पतियाँ जो कि उत्तराखण्ड में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है का उपयोग कर उत्तराखण्ड में उत्पादित विदेशी मदिरा ब्राण्डों के लिए आसवानियों को एकमुश्त पाँच लाख रुपये लेबल/ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने के उपरांत एक से अधिक ब्रांडों का रजिस्ट्रेशन अनुमन्य होगा, इन ब्रांडों की बिक्री नियमों के दायरे में उत्तराखण्ड राज्य तथा देश–विदेश में की जा सकेगी।

23.5(e)प्रदेश के आसवनियों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली स्प्रिट/मदिरा जिनका एक्स आसवनी मूल्य रूपये 400.00 से अधिक होगा के उत्पादन एवं लकड़ी के कास्क में परिपक्वता के दौरान परिपक्वता ह्रास की सीमा 8% प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है। इसके अतिरिक्त White Spirit Redistillation के छीजन/ह्रास की सीमा 8% Per Redistillation निर्धारित की जाती है।

23.5(f)उत्तराखण्ड राज्य में स्थानीय फलों, अनाज आदि पर आधारित माइक्रो डिस्टीलेशन ईकाईयों की स्थापना की अनुमति दी जा सकेगी। पर्वतीय अंचल के किसानों एवं फल उत्पादकों के फल एवं अनाज की खरीद माइक्रो डिस्टीलेशन ईकाईयों द्वारा सहकारी समितियाँ, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन (FPO) के साथ–साथ सीधे किसान से की जा सकेगी, जिससे स्थानीय लोगों को आजीविका के संसाधन प्राप्त होंगे।

माइक्रो डिस्टीलेशन ईकाईयों में 80 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

23.5(g)प्रदेश में IMFL के निर्माण से संबंधित आसवनी जिनके पास बॉटलिंग ईकाई भी कार्यरत है, उन सभी ईकाईयों को रुपये 300 प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य से अधिक के विदेशी मदिरा के निर्माण एवं भराई हेतु ई०एन०ए० की खरीद की अनुमति आबकारी आयुक्त द्वारा दी जाएगी।

Bohi

Scanned with CamScanner

23.5(h) उच्च गुणवत्ता वाली स्प्रिट के निर्माण के लिए मैचूरेशन वेयरहाउस की अनुमति दी जाएगी इसके लिए आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड द्वारा अनुज्ञापन जारी किया जा सकेगा। मैचूरेशन वेयरहाउस के लिए अनुज्ञापन शुल्क रुपये तीन लाख प्रतिवर्ष मैदानी क्षेत्रों में व पर्वतीय क्षेत्रों में एक लाख रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है वेयरहाउस के लिए लाइसेंस की अन्य शर्तें बॉटलिंग ईकाई के समान होगी।

23.5(i) उच्च गुणवत्ता वाली स्प्रिट के निर्माण के लिए मैचूरेशन वेयरहाउस को आबकारी आयुक्त की अनुमति से मॉल्ट का आयात कर मैचूरेशन की सुविधा अनुमन्य होगी। जिसके लिए रुपये 05 प्रति लीटर की दर से वार्षिक मैचूरेशन फीस देय होगी।

24. आसवनी/ब्रुवरी/बॉटलिंग प्लाण्ट का अनुज्ञापन शुल्क/नवीनीकरण शुल्क :–

24.1 आसवनी का पी0डी0–2 अनुज्ञापन शुल्क रू० 280/– प्रति किलो लीटर निर्धारित किया जाता है। उक्त अनुज्ञापन शुल्क केवल पेय योग्य मदिरा पर ही देय होगा।

24.2 आबकारी अधिनियम में आसवनी से सम्बन्धित Rules Regulating Distillery के नियम–4 के क्रम में उल्लिखित रू0 01 लाख की प्रतिभूति को रू0 05 लाख तथा Uttar Pradesh Brewery Rules-1961 के नियम–5 के क्रम में उल्लिखित रू0 20 हज़ार की प्रतिभूति को धनराशि रू0 02 लाख रखा जाता है।

24.3 ब्रुवरी की लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग के लिए निम्नलिखित निर्धारित की जाती है:–

(a) अधिष्ठापित क्षमता 5,000 किलो लीटर तक रू0 1.5 लाख (एक लाख पचास हजार)

(b) अधिष्ठापित क्षमता 5,001 से 10,000 किलो लीटर तक रू0 2.5 लाख (दो लाख पचास हजार)

(c) अधिष्ठापित क्षमता 10,000 किलो लीटर से अधिक पर रू0 07.50 प्रति किलो लीटर की दर से अतिरिक्त देय होगी।

24.4 एफ0एल0एम0–3अनुज्ञापन शुल्क रू0 15 लाख न्यूनतम के अधीन रू0 3 प्रति बल्क लीटर की दर से निर्धारित किया जाता है।

24.5 एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन हेतु प्रतिभूति के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि को रू0 05 लाख निर्धारित की जाती है।

24.6 आसवनी/ब्रुवरी/बॉटलिंग प्लांट अनुज्ञापन जो वर्ष 2024–25 में संचालित है की वर्ष 2025–26 हेतु निम्न नवीनीकरण शुल्क के साथ अपना अनुज्ञापन नवीनीकृत कर सकेंगे:–

क्र० सं०	अनुज्ञापन का प्रकार	नवीनीकरण शुल्क
a)	आसवनी (पी डी –2)	रुपये 100000
b)	ब्रुवरी (बी –1)	रुपये 50000

Bjoshi

Scanned with CamScanner

c)	बॉटलिंग प्लांट(एफएलएम–3)	रुपये 25000
d)	वाइनरी(वी –2)	रुपये 5000

नवीनीकरण फीस नॉन रिफंडेबल एवं अनुज्ञापन शुल्क के अतिरिक्त होगी।

25. आयात/निर्यात शुल्क

25.1 ई0एन0ए0/आर0एस0 आयात शुल्क रू० 05 प्रति ए0एल0 निर्धारित किया जाता है एवं एस0बी0एस0 पर रू० 07 प्रति बल्क लीटर आयात शुल्क तथा माल्ट स्प्रिट पर 09 बल्क लीटर आयात शुल्क तथाअन्य राज्यों में निर्यात हेतु ई0एन0ए0/आर0एस0 निर्यात शुल्क रू० 0.35 प्रति ए0एल0, एस0बी0एस0 पर रू० 0.50 प्रति बल्क लीटर निर्यात शुल्क तथा माल्ट स्प्रिट पर 1.00 रूपये बल्क लीटर निर्यात शुल्क निर्धारित किया जाता है।

25.2 बन्द बोतलों में विदेशी मदिरा के निर्यात पर शुल्क रूपये 0.50 प्रति ए0एल0 निर्धारित किया जाता है।

26 बोतल भराई अनुज्ञापन एफ0एल0–3ए एवं एफ0एल0एम0–3 हेतु अनुज्ञापन शुल्क/बॉटलिंग शुल्कः–

26.1 व्हिस्की, ब्राण्डी, रम व जिन एवं कम तीव्रता की अल्कोहल ब्रिवरेज की भराई हेतु एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की बोतल भराई पर एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के समान अनुज्ञापन शुल्क देय होगा तथा इसका नवीनीकरण शुल्क भी एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के समान होगा।

26.2 एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत आसवक को विदेशी मदिरा की भराई हेतु वर्ष के लिए न्यूनतम रू0 05 लाख के अधीन बॉटलिंग फीस राज्य मे बिक्री हेतु रू० 31/– प्रति ए0एल0 एवं राज्य के बाहर बिक्री हेतु रू० 1/–प्रति ए0एल0 की दर पर देय होगा तथा देश से बाहर निर्यात की जाने वाली मदिरा पर बॉटलिंग फीस रू० 0.50 प्रति ए0एल0 होगी।

26.3 एफ0एल0–3ए व एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत एफ0एल0–3बी में विदेशी मदिरा की भराई पर (बाटलिंग हेतु) वर्ष या वर्ष के भाग के लिए न्यूनतम रू० 05 लाख के अधीन राज्य में बिक्री हेतु रू० 31/–प्रति ए0एल0 एवं राज्य के बाहर बिक्री हेतु रू० 1/–प्रति ए0एल0 की दर पर देय होगा तथा देश से बाहर निर्यात की जाने वाली मदिरा पर बॉटलिंग फीस रू० 0.50 प्रति ए0एल0 होगी।

26.4 एफ0एल0–3 एवं एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत ब्रुवरी (यवासवनी) में वर्ष के लिए न्यूनतम रू0 1,25,000/–(रू० एक लाख पच्चीस हजार मात्र) के अधीन बियर पर बाटलिंग शुल्क एफ0एल0–3 व एफ0एल0–3 ए हेतु रू0 1.25 प्रति ब0ली0 निम्नानुसार देय होगी।

26.5 बीयर के निर्यात पर बाटलिंग/अनुज्ञापन शुल्क एफ0एल0–3 व एफ0एल0–3 ए हेतु रू0 1.15 प्रति ब0ली0 देय होगी।

26.6 ब्रीजर पर बाटलिंग/अनुज्ञापन शुल्क रू0 1.35 प्रति ब0ली0 देय होगी।

Bjoshi

Scanned with CamScanner

26.7 ब्रीजर के निर्यात पर बाटलिंग/अनुज्ञापन शुल्क रू0 1.30 प्रति ब0ली0 देय होगी।

26.8 एनडीएलसी अनुज्ञापन शुल्क रू0 5000/– (रुपये पाँच हजार)किया जाता है।

26.9 एफ0एल0–40 का अनुज्ञापन शुल्क 2000/–(रुपये दो हजार) किया जाता है।

26.10 एफएल 16/17 का अनुज्ञापन शुल्क रू0 1000/–(रुपये एक हजार) निर्धारित किया जाता है।

27. <u>लेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है</u>:–

27.1 विदेशी मदिरा के एक ब्रांड की एक धारिता के समस्त लेबल को एक लेबल मानते हुए प्रति लेबल रू0 1,25,000/– (रुपये एक लाख पच्चीस हजार) रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

27.2 बियर/साईडर/कम तीव्रता की एल्कोहलिक बेवरेज के एक ब्रांड की एक धारिता के समस्त लेबल को एक लेबल मानते हुए प्रति लेबल रू0 80,000/– (रुपये अस्सीहजार) रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

27.3 वाईन की एक कम्पनी हेतु रूपये 65,000/– (पैंसठ हजार रूपये) इकाई द्वारा समस्त लेबिलों हेतु पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया जाता है।

<u>नोट</u>:–उपरोक्त दरें सिविल तथा सी0एस0डी0 आपूर्ति दोनों पर लागू होगी।

27.4 बॉण्ड अनुज्ञापन के माध्यम से अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा/बीयॅर/वाईन इत्यादि पर न्यूनतम 70 मि0मी0 X 35 मि0मी0 साईज का सफेद रंग का स्टीकर चस्पा किया जायेगा, जिस पर निर्देश शासनादेश संख्याः 434/दिनांकः 19.04.2001 के अनुसार निर्देश मुद्रित किये जायेंगे।

27.5 आपूर्तक इकाई आपूर्ति किये जाने वाले ब्रॉण्डस के लेबिल विभागीय वैबसाईट पर स्वप्रमाणित कर अपलोड करेंगे। लेबिल के नियमानुसार न पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

27.6 भविष्य में अनुमोदित कराये जाने वाले मदिरा के लेबिल पर आबकारी नियमों में दी गयी व्यवस्था के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

27.7 प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन विशेषतः उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु, प्रदेश में संचालित बोटलिंग इकाई एवं माइक्रो डिस्टीलेशन इकाई को मदिरा की सुचारू आपूर्ति एवं राजस्व हित में इकाई परिसर से बाहर प्रदेश के किसी भी जनपद में सुविधानुसार एफ०एल०–1 अनुज्ञापन लेना होगा, जिसका अनुज्ञापन शुल्क निर्धारित एफ०एल०–1 के अनुसार ही देय होगा। जिसकी अनुमति आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदान की जाएगी।

प्रदेश में संचालित बोटलिंग इकाई एवं माइक्रो डिस्टीलेशन इकाई द्वारा अपने अनुज्ञप्त परिसर से बाहर स्थापित एफ०एल०–1 अनुज्ञापन से ही एफ०एल०–2 अनुज्ञापन में मदिरा स्थानांतरित व बिक्री/आपूर्ति की जाएगी।

Scanned with CamScanner

28 जिलों में दुकान का स्थान, स्थिति व नई दुकानों का सृजन एवं दुकानों का स्थानान्तरणः–

28.1 जनपद को बिन्दु संख्या–1.1 में दिये राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी कोराजस्व हित में जनपद में दुकानों की संख्या निर्धारित करने एवं नई दुकान सृजित करनेतथा उनका राजस्व निर्धारित करने का अधिकार होगा।

28.2 खुदरा दुकान की अवस्थिति (लोकेशन) उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) एवं समय–समय पर शासन/आबकारी आयुक्त द्वारा जारी नियमों/निर्देशों के अनुसार रखी जायेगी, जो कि थोक मदिरा अनुज्ञापनों व बार अनुज्ञापनों अर्थात जो खुदरा दुकानों की श्रेणी में नही हो पर लागू नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के प्राविधानानुसार अंतरजनपदीय सीमा के 05 किमी के भीतर, बिना दोनों जनपदों के कलेक्टर के सहमति के नवीन खुदरा मदिरा दुकान का सृजन नहीं होगा। इसके अतिरिक्त विगत वर्षो से संचालित ऐसे सभी आबकारी अनुज्ञापन जिसमें सार्वजनिक स्थलों से दूरी व अवस्थिति की बाध्यता है, यदि इनके समीप इनके संचालन/सृजन के पश्चात् कोई सार्वजनिक/पूजा स्थल की स्थापना/निर्माण होता है तो उक्त पर सार्वजनिक स्थलों से दूरी का नियम लागू नहीं होगा।

28.3 मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–12164–12166 ऑफ 2016 "स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम के0 बालू एण्ड ए0एन0आर0" में दिनांकः 15.12.2016 एवं 31.03.2017, एस0एल0पी0 सिविल संख्याः 10243 ऑफ 2017 Arrive Safe Society of Chandigarh Verses The Union Territory of Chandigarh & ANR में पारित निर्णय दिनांकः 11.07.2017 तथा M.A. Nos. 470-472/2017/in Civil Appeal No (s). 12164-12166/2016 /State Of Tamil Nadu &Others Vs K. Balu & Others/dt.11.08.2017में पारित निर्णय के आलोक मे दुकानों की स्थिति निर्धारित, की जायेगी। यहाँ यह भी उल्लिखित किया जाता है कि राज्य में हरिद्वार तथा ऋषिकेश नगर निगम/नगर निकायों के पुनर्सीमांकन के फलस्वरूप उक्त नगरों में मद्यनिषेध क्षेत्र पूर्व में निर्धारित मद्यनिषेध क्षेत्र के अनुसार ही रहेगा।

28.4 किसी मदिरा दुकान को बन्द/स्थानान्तरित करनाः–

28.4 (a) जिलों में देशी एवं विदेशी मदिरा की पुरानी दुकानों को बन्द करने के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारियों को जिले की आवश्यकतानुसार स्वविवेकानुसार निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है; परन्तु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी स्थिति में न तो सम्बन्धित जिलों का आवंटित राजस्व कम होगा और न ही कोई क्षेत्र दुकान रहित होगा।

28.4(b) यदि जिले की सीमान्तर्गत कोई मदिरा की दुकान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नियम संगत रूप से आबकारी अधिनियम, मदिरा दुकानों की संख्या व स्थिति नियमावली 1968 तथा तत्सम्बन्ध में जारी शासनादेशों के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित हो, तो इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी स्वतत्र रूप से अपने स्तर से निर्णय ले सकेंगे, परन्तु निर्णय लेने से पूर्व जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे की मदिरा दुकान के स्थानान्तरण से जनपद की किसी अन्य निकटवर्ती मदिरा

Bjdri

Scanned with CamScanner

की दुकान के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा कोई क्षेत्र दुकान रहित क्षेत्र न होने पाये।

जिलाधिकारी के उक्त आदेश से प्रभावित कोई व्यक्ति आबकारी अधिनियम की धारा–11 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार अपील योजित कर सकता है। अंतरजनपदीय सीमा पर अवस्थित मदिरा दुकानों की स्थिति सम्बन्धित उत्पन्न किसी भी विवाद का निस्तारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेंगा।

29. **मदिरा दुकानों से देशी/विदेशी मदिरा/बीयर व वाईन की खुदरा बिक्री की सीमा–**

देशी/विदेशी तथा बीयर की खुदरा दुकानों से मदिरा/बीयर/वाईन की खुदरा बिक्री की अधिकतम सीमा (स्वंय के वास्तविक उपभोग हेतु) निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

क्र०सं०	मदिरा का प्रकार	मात्रा ब0ली0 में
01	भारत निर्मित विदेशी मदिरा	09 ब0ली0
02	ओवरसीज मदिरा	09 ब0ली0
03	वाईन	09 ब0ली0
04	बीयर बोतल	07.80ब0ली0
05	बीयर कैन	12ब0ली0
06	देशी मदिरा	09 ब0ली0

30. **Track and Trace प्रणाली**

राज्य में मदिरा के व्यवसाय पर प्रभावी नियन्त्रण व पारदर्शिता रखने के लिए सम्पूर्ण प्रणाली को Track and Trace आधारित किया जायेगा। इस पद्धति को लागू करने का उद्देश्य निर्माता ईकाई/आसवनी/बॉटलिंग ईकाई से प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर थोक मदिरा अनुज्ञापनों से लेकर फुटकर अनुज्ञापनों तक मदिरा के संचरण/परिवहन को विनियमित करने एवं व्यापक निगरानी करने, वास्तविक समय के आधार पर अल्कोहॉलिक उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति पर व अंतिम रूप से मदिरा दुकानों में बिक्री करने तक निगरानी व्यवस्था से है। इसके लिये सी0सी0टी0वी, बार कोड स्कैनर, जी0पी0एस0 एवं होलोग्राम की व्यवस्था को अधिक सशक्त एवं अनिवार्य किया जायेगा।

31. होलोग्राम सम्बन्धित आपूर्तक आसवनी के स्तर पर भी लगाये जा सकेंगे। बी0आई0ओ0 ब्राण्ड पर होलोग्राम अनुज्ञप्त परिसर में सम्बन्धित प्रभारी आबकारी निरीक्षक की निगरानी में लगाये जायेंगे।

32. मदिरा के उपभोग के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की जाती है।

33. प्रत्येक आसवनी, ब्रुवरी, बॉटलिंग प्लाण्ट, विन्टनरी, बॉण्ड अनुज्ञापन (बी0डब्लू0एफ0एल0–2), बार अनुज्ञापन तथा मदिरा की खुदरा दुकानों में IP-Address युक्त CCTV कैमरा लगाने की व्यवस्था की जानी अनिवार्य है, जिससे सम्बन्धित अनुज्ञापन की समस्त गतिविधि पर आयुक्तालय स्थित कन्ट्रोल

Scanned with CamScanner

रूम से नियन्त्रण रखा जा सकेगा।

34. मदिरा के खुदरा अनुज्ञापी को माह में बिक्री हेतु अतिरिक्त मदिरा की आवश्यकता पड़ती है, तो वह आगामी माहों का उठान निर्धारित धनराशि जमा कर अग्रिम रूप से प्राप्त कर सकता है।

35. **सामाजिक, राजनैतिक प्रदर्शनों, कानून व्यवस्था तथा दैवीय प्रकोप या प्राकृतिक आपदा एवं विशेष कारणों से न्यूनतम ड्यूटी में छूटः–**

अनुज्ञापन की अवधि में सामाजिक, राजनैतिक प्रदर्शनों, कानून व्यवस्था तथा दैवीय प्रकोप या प्राकृतिक आपदाआगजनी/बाढ़/भूकंप, आधारभूत संरचना विकास संबंधित निर्माण कार्य के कारण अवरोध एवं परिस्थितजन्य स्थितियों के कारण खुदरा मदिरा दुकान के व्यवसाय पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के कारण, यदि सम्बन्धित अनुज्ञापी तत्समय की अवधि की न्यूनतम गारण्टेड अभिकर की देय धनराशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो उक्त अवधिकी देय न्यूनतम गारण्टेड अभिकर की धनराशि पर छूट दिये जाने के सम्बन्ध में जिला आबकारी अधिकारी/जिलाधिकारी की आख्या पर आबकारी आयुक्त द्वारा छूट दिए जाने का निर्णय लिया जाएगा।

36. मदिरा परिवहन करने वाले समस्त वाहनों को GPS/GPRS प्रणाली से संयोजित करना अनिवार्य होगा।

37. **वर्ष के दौरान आबकारी नीति में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों के निराकरण के संबंध में–**

आबकारी नीति की मा० मंत्री परिषद से स्वीकृति के उपरांत क्रियान्वयन किए जाने पर यदा–कदा कतिपय व्यवहारिक कठिनाईयां उत्पन्न होती है इन कठिनाइयों के समाधान एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की व्यवस्था के लिए आबकारी नीति में सामयिक, व्यवहारिक, विधिक दृष्टि से किसी परिवर्तन हेतु आबकारी आयुक्त से प्राप्त संस्तुत प्रकरणों पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर प्रकरण मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है, जिसमें प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त एवं न्याय, प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी सदस्य तथा आबाकारी आयुक्त सदस्य–सचिव होंगे। राज्य हित में उक्त समिति प्रस्तुत प्रस्तावों पर प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेकर समिति की संस्तुति पर अन्तिम निर्णय हेतु मा0 आबकारी मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किया जायेगा।

38. अन्य देशो से आयातित विदेशी मदिरा पर रू0 100/– प्रति बल्क लीटर तथा बीयर/वाईन एवं कम तीव्रता की पेय (एल0ए0बी) पेय रू0 30/– प्रति बल्क लीटर परमिट शुल्क देय होगा।

39. एक्स आसवनी मूल्य रुपये 400.00 से कम की विदेशी मदिरा की भराई/मैनुफैक्चरिंग उत्तराखण्ड राज्य में निर्माता ईकाईयों को करना अनिवार्य होगा, इसके लिएं वित्तीय वर्ष 2025–26 की प्रथम तिमाही तक छूट प्रदान की जाएगी। प्रदेश आबकारी राजस्वहित में एवं राज्य के औद्योगिकीकरण एवं निवेश के दृष्टिगत आर्थिक प्रगति के लिए निर्माता ईकाईयों को आधारभूत संरचना के लिए यथासंभव सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। निर्धारित समय तक बॉटलिंग की सुविधा ईकाई द्वारा विकसित नहीं कर पाने की दशा में आबकारी आयुक्त द्वारा अतिरिक्त समय की छूट प्रदान की जा सकेगी।पर्वतीय क्षेत्रों में विदेशी मदिरा के उक्त आसवनी मूल्य तक भराई किए जाने की दशा में स्थानीय रोजगार में वृद्धि के दृष्टिगत आबकारी आयुक्त द्वारा संबंधित ईकाई को विशेष छूट दिए जाने की अनुशंसा करने पर शासन

Scanned with CamScanner

द्वारा विशेष छूट दी जाएगी। उक्त व्यवस्था से उन आपूर्तक अनुज्ञापियों को आबकारी आयुक्त द्वारा छूट दी जा सकेगी जिनकी मासिक आपूर्ति 5 हजार पेटी तक अथवा इससे कम है।

40. संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 10 और 74 के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 74(1)(क) के अधीन सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी की श्रेणी से अन्यून श्रेणी के अधिकारियों को, कोई अपराध, जहाँ अन्तर्ग्रस्त मादक द्रव्यों (स्वापक औषधियों को छोड़कर) की परिमाण नब्बे लीटर मदिरा से अनाधिक हो, को प्रशमन फीस के रूप में ऐसी धनराशि का संदाय किये जाने पर प्रशमित करने के लिये अधिकार प्रदान किया जाता है, जो अवैध शराब के सम्बन्ध में ढाई सौ रूपये प्रति लीटर से कम नहीं होगी अथवा न्यूनतम 5000 रुपये प्रशमन शुल्क जो भी अधिक हो प्रति अभियोग आरोपित किया जाएगा।

41. नए अन्वेषण, तकनीक, रेगुलर साइज़ के अतिरिक्त नए पैक साइज़, नए मैटेरियल, 42.8 प्रतिशत V/V तीव्रता के अतिरिक्त 16 प्रतिशत V/V से लेकर 65 प्रतिशत V/V तीव्रता की विदेशी मदिरा के उत्पादन, स्थानीय बिक्री एवं निर्यात की अनुमति दी जाती है।

42. थोक एवं खुदरा अनुज्ञापनों, आसवानियों व बॉटलिंग ईकाई के संचालन में व्यवहारिक कठिनाई आती है और इसके सम्बन्ध में आबकारी नीति विषयक नियमावली या अन्य सुसंगत नियमावली में प्राविधान नहीं है तब ऐसी दशा में आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदेश के राजस्वहित में निर्णय लिया जा सकेगा।

43. उत्तराखण्ड राज्य की शीरा नीति का प्रख्यापन पृथक रूप से आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक उत्तराखण्ड की अध्यक्षता मे गठित समिति की संस्तुति पर शासन द्वारा किया जाएगा।

44. खुदरा मदिरा दुकानों के अनुज्ञापन का समर्पण संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 (यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित उत्तराखण्ड राज्य) की धारा 36 के अंतर्गत किए जाने की दशा में अनुज्ञापी द्वारा समर्पण आवेदन के साथ समर्पण की तिथि तक राजस्व देयता की धनराशि जमा करने के शपथ पत्र के साथ लाइसेंस प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित देयता की धनराशि का उल्लेख किया जाएगा, ऐसी दशा में किसी अनुज्ञापन का समर्पण का आवेदन पूर्ण माना जाएगा। उक्त के अतिरिक्त अधिनियम के सुसंगत प्राविधान के तहत कार्यवाही की जाएगी तथा समर्पण के संबंध में पूर्व से लागू अन्य सुसंगत नियमावली के प्राविधान यथावत लागू होंगे। समर्पण के आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

45. **नशे के दुष्प्रभाव एवं रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग संबंध में प्रचार–प्रसार हेतु बजट का प्राविधानः–**

नशे के दुष्प्रभाव एवं संयमित मदिरा के सेवन के संबंध में आमजन को जानकारी वविस्तृत प्रचार के माध्यम से जागरूकता लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा तथा इस कार्य हेतु CSR मदसे भी मदद ली जा सकेगी।

46. विभाग के सुदृढ़ीकरण, कार्मिकों को ट्रेनिंग एवं विभाग के मानव संसाधन को नई तकनीकी के अनुरुप प्रशिक्षित किया जाएगा।

47. वित्तीय वर्ष 2025–26 में मैट्रो मदिरा निर्माण एवं बिक्री आदि की व्यवस्था को समाप्त किया जाता है।

48. प्रदेश में अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी नियंत्रण एवं प्रवर्तन कार्य के लिए सूचना तंत्र/मुखबिरी को मजबूत किए जाने हेतु अपराध निरोधक क्षेत्र में तैनात आबकारी निरीक्षक एवं प्रवर्तन कार्य में नियुक्त आबकारी निरीक्षकों को पदेन कर्तव्यों के सुचारु निर्वहन हेतु चार पहिया वाहन आवंटित किए जाएंगे आवश्यकता अनुरूप इन्हे किराये पर भी लिया जा सकेगा।

Scanned with CamScanner

49. प्रदेश में अवस्थित आसवनी, संचालित बॉटलिंग ईकाईयां, थोक अनुज्ञापन (बॉन्ड, एफएल–2, एफएल–2(ओ),सीएल–2) सुचारु रूप से उत्पादन, बॉटलिंग, आपूर्ति एवं मदिरा दुकानों के सुचारु रूप से संचालन हेतु उपर्युक्त समस्त गतिविधियों हेतु पूर्व में निर्धारित समयावधि से अधिक काल तक संबंधित जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से अनुज्ञापनों को संचालित कर सकेंगे, जिसके लिए निर्धारित ओवर टाइम शुल्क देय होगा।

नोट– विभागीय अनुज्ञापनों में ओवर टाईम (Over Time) शुल्क, आबकारी निरीक्षकों हेतु रुपये 825 प्रति घण्टा, आबकारी उप निरीक्षकों हेतु रुपये 605 प्रति घण्टा, आबकारी लिपिक हेतु रुपये 500 प्रति घण्टा एवं आबकारी सिपाही/ प्रधान सिपाही हेतु रुपये 500 प्रति घण्टा की संशोधित दरे नियत की जाती है।

50. वित्तीय वर्ष 2025–26 में आसवनियों द्वारा एल्कोहॉल के डीनेचुरेशन (Denaturation) से बनी डीनेचर्ड स्प्रिट की फीस की दर रुपये 0.60 प्रति लीटर निर्धारित की जाती है।

51. प्रवर्तन कार्यों हेतु प्रत्येक अपराध निरोधक क्षेत्र तथा जनपदीय एवं मंडलीय प्रवर्तन ईकाईयों के आबकारी निरीक्षकों को पदीय कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन हेतु चार पहिया वाहन अनुमन्य होगा।

52. मदिरा पर प्राप्त प्रतिफल जमा करने हेतु एक अलग उपशीर्षक बनाया जाएगा।

53. आवंटन के समय जी–14 पंजिका में अनुज्ञापी/अनुज्ञापियों एवं जिला आबकारी अधिकारी का संयुक्त फोटो चस्पा किया जाना तथा सभी अंगुलियों की छाप मैनुअली/बायोमैट्रिक अनिवार्य होगा।

54. मदिरा दुकान का समस्त राजस्व एवं मदिरा व्यवसाय से संबंधित समस्त देयकों को अनुज्ञापी/अनुज्ञापियों अथवा उनकी फर्म के खाते से ही भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

55. आबकारी विभाग के विगत वर्षो के बकाया ब्याज की राशि के संबध में यदि किसी विसंगति के होने पर संबधित अनुज्ञापी द्वारा अपील की जाती है तो उक्त के संबध में आबकारी आयुक्त द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत विधिसंगत निस्तारण किया जाएगा।

56. मुख्यालय स्तर पर नमूना परीक्षण शुल्क प्रति सैंपल रुपये 1000 निर्धारित किया जाता है।

57. आबकारी के समस्त अनुज्ञापन अग्निशमन संयत्र से सुसज्जित किये जाने अनिवार्य होंगे।

58. उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2025–26 के नियम इससे पूर्व बनायी गयी किसी अन्य नियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होंगे।

59. आबकारी नीति विषयक 2024 के अन्य नियम यथावत रहेंगे एवं अन्य सुसंगत प्रविधान पूर्व वर्षो की भांति यथावत रहेंगे।

05/3/25

(एल0फैनई),
प्रमुख सचिव।

संख्या 176 (1)/XXIII-1/2025-04(01)/2025, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदया के अवलोनार्थ।

Scanned with CamScanner

3. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमायू मण्डल, नैनीताल।
5. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद–हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि कृपया उक्त का प्रकाशन असाधरण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 50 प्रतियां, प्रमुख सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन, 4–सुभाष रोड़, देहरादून तथा 50 प्रतियां कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड 15/1 गांधी रोड, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना सार्वजनिक किये जाने हेतु शासकीय वेबसाइट में आज की प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

05/03/25

(एल0फैनई),
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner